C O N T E N T S

Seventeenth Series, Vol. XI, Fifth Session, 2021/1942 (Saka)
No. 15, Wednesday, March 10, 2021/ Phalguna 19, 1942 (Saka)

S U B J E C T	P A G E S
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
*Starred Question Nos. 221 to 224	11-27
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
Starred Question Nos. 225 to 240	28-80
Unstarred Question Nos. 2531 to 2760	81-687

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

PAPERS LAID ON THE TABLE 689-701

ASSENT TO BILLS 702

STANDING COMMITTEE ON INFORMATION TECHNOLOGY

22nd to 25th Reports 703

STANDING COMMITTEE ON PETROLEUM AND NATURAL GAS

5th and 6th Reports 704

BUSINESS OF THE HOUSE 705-706

MOTION RE: 20TH REPORT OF BUSINESS ADVISORY COMMITTEE 707

ANNOUNCEMENT BY THE CHAIR

Cancellation of sitting of the House 708

MATTERS UNDER RULE 377 709-726

(i) Need to construct a Railway underbridge on level crossing No. 82B in Pratapgarh Parliamentary Constituency, Uttar Pradesh

Shri Sangam Lal Gupta 709

(ii) Regarding levy of GST (RCM) on cotton

Shri Ramdas Tadas 710

(iii) Regarding virtual hearing of court cases

Shrimati Meenakashi Lekhi 711

(iv) Regarding status of sanctioned irrigation projects in Khajuraho Parliamentary Constituency, Madhya Pradesh

Shri Vishnu Datt Sharma 712

(v) Regarding demarcation of 'O' Zone in Delhi

Shri Ramesh Bidhuri 713-714

(vi) Need to set up a Kendriya Vidyalaya in Machhlishahr Parliamentary Constituency, Uttar Pradesh

Shri Bholanath 'B.P. Saroj' 715

(vii) Need to restart the services of Ranchi - Sasaram Intercity Express

Shri Vishnu Dayal Ram 716

(viii) Need to enact population control law

Shri Sanjay Seth 717-718

(ix) Regarding movable and immovable property of Swadeshi Mining and Manufacturing Company in Uttar Pradesh

Shri Pankaj Chaudhary 719

(x) Need to include Rajasthani language in the Eighth Schedule to the Constitution

Shri Nihal Chand Chouhan 720

(xi) Regarding inhuman plight of the nomadic Kadugolla community

Shri G.S. Basavaraj 721

(xii) Regarding pending dues of sugarcane farmers

Shri Jasbir Singh Gill 722

(xiii) Regarding disinvestment in BEML

Shri V.K. Sreekandan 723

(xiv) Regarding alleged controversial dealings of Kerala Government with an American company

Shri T. N. Prathapan 724

(xv) Need to provide Cargo facility at Shirdi Airport, Maharashtra

Shri Sadashiv Kisan Lokhande 725

(xvi) Need to appoint a Nodal Officer for Aspirational Districts

Shri Chandeshwar Prasad 726

STATUTORY RESOLUTION RE: DISAPPROVAL OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI LAWS (SPECIAL PROVISIONS) SECOND (AMENDMENT) ORDINANCE, 2021

AND

NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI LAWS (SPECIAL PROVISIONS) SECOND (AMENDMENT) BILL, 2021 734-750

Motion to Consider 736

Shrimati Meenakashi Lekhi 737-741

Shri Ramesh Bidhuri 741-744

Shrimati Chinta Anuradha 744

Dr. Alok Kumar Suman 745

Shri Hardeep Singh Puri 746-748

Clauses 2 to 7 and 1 749-750

Motion to Pass 750

UNION BUDGET (2021-2022) – DEMAND FOR GRANT

Ministry of Railways 752-758

Shri Ram Kripal Yadav 755-758

***ANNEXURE – I**

Member-wise Index to Starred Questions

Member-wise Index to Unstarred Questions

***ANNEXURE – II**

Ministry-wise Index to Starred Questions

Ministry-wise Index to Unstarred Questions

* Available in Master copy of Debate, placed in Library.

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shri Om Birla

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shrimati Rama Devi

Dr. (Prof.) Kirit Premjibhai Solanki

Shri Rajendra Agrawal

Shrimati Meenakashi Lekhi

Shri Kodikunnil Suresh

Shri A. Raja

Shri P.V. Midhun Reddy

Shri Bhartruhari Mahtab

Shri N.K. Premachandran

Dr. Kakoli Ghosh Dastidar

SECRETARY GENERAL

Shri Utpal Kumar Singh

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Wednesday, March 10, 2021/ Phalguna 19,1942 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[HON. SPEAKER *in the Chair*]

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 221

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, आप लोग कृपया एक मिनट के लिए बैठ जाएं। आप सभी वरिष्ठ सदस्य हैं। मैंने आपके स्थगन प्रस्ताव पर कोई व्यवस्था नहीं दी है। आप क्या भविष्यवक्ता हैं कि आप पहले से ही हल्ला करना शुरू कर देते हैं?

…(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : सर, बॉर्डर पर किसान एक के बाद एक खुदकुशी कर रहे हैं। हम यहां पर कैसे चुप-चाप बैठ सकते हैं? किसानों की यह हालत देखते हुए यह विषय यदि मैं इस सदन में नहीं उठाऊंगा तो कहां उठाऊंगा? आप कृपया बताइए **।**…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपने यह विषय पिछली बार भी बोला था। इस विषय की आप नोटिस दीजिए। मैं आपको पर्याप्त समय व अवसर दूंगा।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मुलायम सिंह यादव साहब, इन वरिष्ठ सदस्यों को कृपया समझाएं। ये रोज सदन के अंदर बिना किसी सब्जेक्ट के व्यवधान पैदा करते हैं। यह तरीका गलत है।

…(व्यवधान)

11.02 hrs

At this stage Shri Kodikunnil Suresh, Shri D.K. Suresh and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न काल सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। यह सभी माननीय सदस्य का अधिकार होता है**,** केवल आपका अधिकार नहीं है, और भी कई माननीय सदस्य इस सदन के अंदर हैं। कोई भी अन्य माननीय सदस्य यहां व्यवधान पैदा नहीं करना चाहते हैं।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: सब सदन चलाना चाहते हैं। केवल आप सदन नहीं चलाना चाहते हैं। आपका यह फैसला गलत है। आप कोई भी नोटिस दीजिए। मैं हर विषय पर आपको पर्याप्त समय व अवसर इस सदन में दूंगा।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपने स्वयं यह निर्णय किया था कि प्रश्नकाल आप चलने देंगे। यह निर्णय सामूहिक रूप से हुआ था। मैं स्थगन प्रस्ताव पर जब कोई व्यवस्था दूंगा, तभी आप अपनी बात कह सकते हैं।

…(व्यवधान)

11.03 hrs

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 221, श्री के.जी. माधव जी **-** उपस्थित नहीं ।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी।

…(व्यवधान)

(**Q. 221)**

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न संख्या-222

डॉ. कलानिधि वीरास्वामी - उपस्थित नहीं।

…(व्यवधान)

(Q. 222)

माननीय अध्यक्ष: श्री गणेश सिंह जी।

…(व्यवधान)

श्री गणेश सिंह: माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं माननीय मंत्री जी को भारत नेट परियोजना के तहत देश की ढाई लाख से अधिक पंचायतों को जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। …(व्यवधान) मैं उनसे जानना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में अभी तक भारत नेट परियोजना के तहत कितनी ग्राम पंचायतों तक इस परियोजना का कार्य हो चुका है, कितना कार्य शेष बचा है और वह कब तक पूरा होगा?…(व्यवधान)

श्री रवि शंकर प्रसाद : अध्यक्ष महोदय**,** अभी तक हम लोगों ने 1 लाख 54 हजार छियानवे ग्राम पंचायतों में सर्विस रेडी कर दी है। 5 लाख 5 हजार चार सौ बांसठ ऑप्टिकल फाइबर हमने लेकर दिया है।…(व्यवधान) हम लोगों ने 1 लाख 3 हजार 4 सौ ग्राम पंचायतों में वाईफाई योजना भी शुरू कर दी है। 15 लाख 24 हजार यूजर्स यहां काम कर रहे हैं और डाटा कैपेसिटी भी काफी बढ़ी है।

जहां तक मध्य प्रदेश का सवाल है, जो माननीय सदस्य ने प्रस्तुत किया है…(व्यवधान) मैं उसका बिल्कुल बिन्दवार, जिलावार डिटेल्स लेकर उन्हें बता दूंगा कि अब तक कितने काम हुए हैं और जितने काम बचे हुए हैं और वे कब तक पूरे हो जाएंगे, मैं इसकी सूचना उन्हें प्रस्तुत कर दूंगा।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: श्री राजीव प्रताप रूडी जी।

श्री राजीव प्रताप रूडी: अध्यक्ष महोदय, देश में वर्ष 2014-15 के बाद यह तय किया गया था कि भारतनेट के माध्यम से गांव-गांव में हर पंचायत में हम लोग इंटरनेट की फैसिलिटी की उपलब्धता करवाएंगे और पहले चरण में 1,25,000 ग्राम पंचायतों को सुविधा पहुंचायी गयी है।...(व्यवधान) आज भी भारत में 1,25,000 ग्राम पंचायतें बची हुई हैं। सरकार ने वर्ष 2017 में यह निर्णय लिया था कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में पांच-पांच स्थानों पर हम ऑप्टिकल फाइबर लगाकर उसकी शुरूआत करवाएंगे।...(व्यवधान)

प्रधान मंत्री जी ने एक बड़ा सपना देखा और यह तय किया है कि 6,00,000 गांवों तक इंटरनेट ऑप्टिकल फाइबर बिछाएंगे।...(व्यवधान) लेकिन माननीय मंत्री जी ने जो प्रतिवेदन दिया है और हम लोगों के समक्ष जो जानकारी है कि गांव-गांव तक पहले चरण में पूरे भारत वर्ष में 1,25,000 ग्राम पंचायतों तक ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क लगाया गया है। इसमें जो तारें बिछाई गई हैं और पंचायत भवन तक जाने वाले जो पांच-पांच कनेक्शंस दिए जाने थे, उनमें 90 प्रतिशत ऐसे कनेक्शंस हैं, मैं बिहार में अपने सारण संसदीय क्षेत्र की समीक्षा के बाद यह बताना चाहूंगा कि पहले चरण में जो ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क का जाल बिछाया गया है, उसमें कम से कम पांच स्थानों पर जो ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क लगाए जाने थे, वे कार्यरत नहीं हैं।...(व्यवधान) ये सब बीएसएनएल के एक्सचेंज से जोड़े गए हैं और बीएसएनएल के एक्सचेंज भी अकार्यरत होने की स्थिति में जो सीएससी है या बीबीएनएल है, जो भारतनेट है, जो तार पंचायत तक पहुंचाता है और लास्ट माइल कनेक्टिविटी की जो समस्या है, वह सबसे बड़ी समस्या है।...(व्यवधान)

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि देश का सबसे बड़ा यूएसओएफ फंड जो कि लगभग 40,000 करोड़ रुपये भारत सरकार द्वारा खर्च किये जाने हैं, उसके पहले चरण का कार्य भी समाप्त नहीं हो पाया है।...(व्यवधान) बीएसएनएल के साथ-साथ बीबीएनएल

बना और उसके बाद सीएससी लाया गया ।...(व्यवधान) माननीय प्रधान मंत्री जी ने इसे बढ़ाकर 6,00,000 गांवों तक पहुंचाने की बात की है, तो मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि बीबीएनएल से आपने जो ऑप्टिकल फाइबर की तारें बिछाई हैं, उसकी कैपेसिटी कितने टीबी है?...(व्यवधान) अभी तक भारत वर्ष में उस पूरे प्रतिशत का कितना अनुपात आप लोगों को खपत के रुप में दे रहे हैं? मैं इसकी जानकारी आपसे जानना चाहता हूं।...(व्यवधान)

श्री रवि शंकर प्रसाद: महोदय, माननीय वरिष्ठ सदस्य ने जो सवाल पूछा है, मैं उसके उत्तर में यह कहना चाहूंगा और मैंने यह पहले भी कहा था कि अभी तक 1,54,096 ग्राम पंचायतें सर्विस रेडी हैं ।...(व्यवधान) हमने लगभग 5 लाख किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर प्रस्तुत किया है । उन्होंने इसकी उपयोगिता के बारे में जो सवाल पूछा है, तो उन्होंने बहुत ही सही कहा है कि इसे गांव तक और प्रभावी रूप से पहुंचाने के लिए सीएससी को इंवॉल्व किया गया है, ताकि काम जल्दी से आगे बढ़ सके ।...(व्यवधान) इसका फायदा यह हुआ है कि अब तक 1,03,400 ग्राम पंचायतों में हम लोगों ने वाई-फाई सुविधा प्रस्तुत की है।...(व्यवधान)

आपने जो बताया है कि ग्राम पंचायतों के केन्द्र में पुलिस स्टेशनों में किया है । इसका फायदा यह हुआ है कि 15,24,000 यूज़र इसे यूज़ कर रहे हैं और 1,834 टेरा बाइट डेटा प्रति माह यूज़ हो रहा है ।...(व्यवधान) जहां तक घरों की बात है, तो हमने 4,95,078 गांव में फाइबर टू होम कनेक्शन पहुंचाया है । माननीय सदस्य ने जो बात अपने क्षेत्र के बारे में कही है, यह बात मेरे सामने आई थी । उसके संबंध में, मैंने अपने अधिकारियों से कहा है कि उनके क्षेत्र की समस्याओं के निराकरण के प्रयास किए जाएं ।...(व्यवधान) यह बात सही है कि कई जगहों पर कनेक्टिविटी में कमजोरी थी, उसे देखा जा रहा है, लेकिन सीएससी को इंवॉल्व करने के बाद पूरे वाई-फाई और फाइबर टू होम कनेक्शंस में बहुत ही तेज गति आई है, जिससे यह कंफर्म होता है कि डेटा कंजप्शन बढ़ा है।

डॉ. निशिकांत दुबे: महोदय, धन्यवाद।...(व्यवधान)

महोदय, माननीय रूडी जी ने बहुत गंभीर बात कही है।...(व्यवधान) माननीय प्रधान मंत्री जी सबको इंटरनेट देना चाहते हैं। ...(व्यवधान) यूएसओएफ फंड के पास 70 हजार करोड़ रुपया है।...(व्यवधान) माननीय मंत्री जी दिन-रात लगे हुए हैं। ... (व्यवधान) अभी पाँच दिन पहले मैं अपने जिला देवघर की 'दिशा' कमेटी की मीटिंग कर रहा था।...(व्यवधान) पावर ग्रिड ने जो तार बिछाये हैं, वे सारे के सारे तार चोरी हो गए हैं।...(व्यवधान) मैंने पावर ग्रिड और बीबीएनएल के चेयरमैन के ऊपर एफआईआर करने के लिए कहा है।...(व्यवधान)

महोदय, जो यूएसओएफ फंड है, मैं आपको आश्चर्यजनक रूप से बताता हूँ कि इससे बीएसएनएल को सेकेंड फेज चालू करना था।...(व्यवधान) मैं जिस राज्य से आता हूँ, वहाँ एलडब्ल्यूई का जिला है और एलडब्ल्यूई 2 का कैबिनेट ने, माननीय प्रधान मंत्री जी ने तय कर दिया कि वर्ष 2017 में इसका सेकेंड फेज यूएसओएफ फंड से चालू होगा। ... (व्यवधान) आज वर्ष 2021 हो गया। ...(व्यवधान) चार साल में हम उसका टेंडर नहीं कर पाए हैं।...(व्यवधान)

दूसरा सवाल नॉर्थ-ईस्ट का है।...(व्यवधान) नॉर्थ-ईस्ट में यूएसओएफ फंड में जो प्राइवेट कंपनी को टेंडर देना था, एयरटेल जैसी कंपनी काम कर गई और जो बीएसएनएल को मिलना था, वह बीएसएनएल को नहीं मिला।...(व्यवधान) माननीय प्रधान मंत्री जी का जो विजन है, यूएसओएफ उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहा है। ... (व्यवधान) गाँव-गाँव तक यह तार नहीं पहुँच पा रहा है। ...(व्यवधान) क्या यूएसओएफ के बारे में माननीय प्रधान मंत्री जी कोई मीटिंग करके इसका निर्णय करेंगे और जो ये लोग हैं, क्या उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे?...(व्यवधान)

श्री रवि शंकर प्रसाद : महोदय, मैं निवेदन करता हूँ कि प्रधान मंत्री जी की स्वयं की इच्छा है कि इस काम को तेज गति से बढ़ाया जाए ।...(व्यवधान) इसीलिए अभी मैंने पूर्व माननीय सदस्य के प्रश्न के उत्तर में कुछ आंकड़े दिए हैं ।...(व्यवधान) जहाँ तक माननीय सांसद जी ने अपने क्षेत्र के बारे में बताया है, वहाँ की कुछ कमजोरियों के बारे में बताया है ।...(व्यवधान) मैं उनसे इसकी स्पेसिफिक जानकारी प्राप्त करके जरूर रिव्यू करूँगा और अगर कुछ गड़बड़ियाँ हुई हैं तो अवश्य कार्रवाई की जाएगी । ...(व्यवधान) मैं यह कहना चाहता हूँ ।...(व्यवधान)

(Q. 223)

श्री प्रतापराव जाधव: महोदय, मैं आपकी अनुमति से मंत्री जी से पूछना चाहूँगा, जैसा कि मेरे इस प्रश्न के उत्तर में बताया गया है कि मुंबई और नागपुर गलियारे के बीच उच्च गति रेल गलियारे के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का कार्य अनुमोदित कर दिया गया है और नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड को सौंप दिया गया है तथा यह कार्य प्रगति पर है।...(व्यवधान)

मैं इस प्रश्न के संबंध में माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि इस उच्च गति रेल गलियारे की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट कब तक अनुमोदित करने के लिए नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड को सौंपी गई है?...(व्यवधान) मुझे पता चला है कि इस योजना को तीसरे चरण में रखा गया है।...(व्यवधान) यह विदित है कि मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है।...(व्यवधान) अत: क्या सरकार मुंबई और नागपुर के बीच उच्च गति रेल गलियारे को वरीयता देकर समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करके निर्माण संबंधी कार्य को स्वीकृति देगी और अन्य उच्च गति रेल गलियारे से पहले इसका कार्य अविलंब प्रारम्भ करने का विचार करेगी? ...(व्यवधान)

श्री पीयूष गोयल : महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत बेहतरीन प्रश्न पूछा है।...(व्यवधान) वास्तव में माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की तीव्र इच्छा है कि इस देश में अति आधुनिक टेक्नोलॉजी आए, तेज गति से रेलवे चले और देश भर में सभी लोगों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं उपलब्ध हों। ...(व्यवधान) इस हेतु मुंबई से अहमदाबाद एक पहली हाई स्पीड रेल का निर्माण करने का फैसला लिया गया। ...(व्यवधान) बहुत तेज गति से उस पर निर्णय लिए गए और उस पर काम शुरू किया गया । ...(व्यवधान) विश्व की जो सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी है, SHINKANSEN टेक्नोलॉजी को भारत में लाया गया।...(व्यवधान) मुझे आज बहुत दु:ख है कि 1.5 वर्ष पूर्व जब से महाराष्ट्र में नई

सरकार आई, उसने इस काम को पूरे तरीके से, एक प्रकार से रोक कर इसमें फुल स्टॉप लगा दिया है। …(व्यवधान)

गुजरात में तेज गति से जमीन का अधिग्रहण हुआ है। आज 95 प्रतिशत गुजरात में जमीन एक्वायर कर ली गई, दादरा और नागर हवेली में भी जमीन एक्वायर कर ली गई है।…(व्यवधान) लेकिन महाराष्ट्र में, मुझे यह बताते हुए दु:ख है कि जब पिछली सरकार थी, उस सरकार के समय जो जमीन मिली, उसके बाद नई सरकार द्वारा कोई काम न करने के कारण मात्र 24 प्रतिशत जमीन मिल पाई है और हाई स्पीड रेल का काम महाराष्ट्र में आगे बढ़ नहीं रहा है।…(व्यवधान) इसी के चलते अब गुजरात का जो काम है, वह तेज गति से चल रहा है, लेकिन महाराष्ट्र का काम ठप है।…(व्यवधान) ऐसी परिस्थिति में मैं माननीय सदस्य से दरख्वास्त करूँगा कि अगर वह चाहते हैं कि मुम्बई से नागपुर भी हाई स्पीड रेल हो, मुझसे ज्यादा कौन चाहेगा, तो मैं बताना चाहूंगा कि मैं तो स्वयं मुम्बई का रहने वाला हूँ, व मुम्बई में जन्मा हूं, पला-बढ़ा हूं और वहां राजनीति की है।…(व्यवधान) मेरा दु:ख यह है कि प्रधान मंत्री जी का जो सपना है कि देश भर में हाई स्पीड रेल, सेमी हाई स्पीड रेल चलें, उसमें महाराष्ट्र सरकार ने जो रोड़े अटकाए हैं, जिस प्रकार से उसको बढ़ने नहीं दिया, ऐसी परिस्थिति में मुम्बई से नागपुर कैसे हाई स्पीड रेल आएगी, मेरी समझ से बाहर है। सर, इतना अनपार्लियामेंट्री वर्ड, मेरे इतने वरिष्ठ सहयोगी, जिनको जिताने में दिन-रात मैंने काम किया, वह झूठ … * बोलने का आरोप लगा रहे हैं।…(व्यवधान) सर, यह इतना अनपार्लियामेंट्री शब्द, एक एक्स कैबिनेट मिनिस्टर, पार्लियामेंट में रहे हुए सदस्य, इस्तेमाल कर रहे हैं। इसको कृपया करके एक्सपंज किया जाए। यह सरकार सिर्फ सत्य बोलती है, जो झूठ बोलने का काम है, वह कुछ नेता, एक मुख्य मंत्री पद के लिए … * बोलने का काम करते होंगे।…(व्यवधान) मुझे नहीं मालूम कि उन नेताओं की क्या मंशा है कि वह विकास के कार्यों में भी हमें सहयोग नहीं करते।…(व्यवधान) माननीय सदस्य से अनुरोध है कि

* Not recorded

महाराष्ट्र की सरकार पर और ज्यादा प्रेशर डालें और वहां से सहयोग लाएं, तो जल्द से जल्द मुम्बई से नागपुर भी हम हाई स्पीड रेल लाने के कार्य में आगे बढ़ सकेंगे । हमने ऑलरेडी डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट का काम शुरू किया है, कोई काम तीसरे चरण में नहीं रखा गया है।...(व्यवधान) सभी पर काम एक साथ चल रहा है। सहयोग न मिलने के कारण अनुमानित डीपीआर की तिथि अगस्त, 2021 है। लेकिन अगर महाराष्ट्र सरकार सहयोग दे, तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि केन्द्र में मोदी जी की सरकार चाहती है कि जल्द से जल्द पूरे देश को यह सुविधा मिले।...(व्यवधान)

श्री प्रतापराव जाधव: महोदय, मेरा सवाल मुम्बई-नागपुर बुलेट ट्रेन के बारे में था ।...(व्यवधान) लेकिन हमारे मंत्री जी ने मुम्बई-अहमदाबाद के बारे में ज्यादा बात की। मंत्री जी को भी मालूम होगा कि इस रेल के लिए महाराष्ट्र के लोगों का विरोध इसी कारण है कि मुम्बई के सभी बड़े-बड़े कॉरपोरेट जगत को अहमदाबाद में ले जाने की योजना यह सरकार बना रही है ।...(व्यवधान) इसलिए हमारे मराठी लोगों का, महाराष्ट्र के लोगों का मुम्बई से अहमदाबाद जाने वाली बुलेट ट्रेन का विरोध है। इससे पहले भी बहुत सारे बड़े-बड़े कॉरपोरेट ऑफिस और कार्यालय, गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी मुम्बई से अहमदाबाद स्थातांरित हो चुके हैं और बड़े स्तर पर स्थानांतरित करने की योजना बना कर मुम्बई का महत्व कम करने की चाल यह केन्द्र सरकार कर रही है।...(व्यवधान) इसलिए यह महाराष्ट्र की जनता का विरोध है, न कि सरकार का। मेरा प्रश्न था कि मुम्बई देश की आर्थिक राजधानी है। अपने देश में दूसरे बड़े शहरों से मुम्बई का महत्व अलग है। नागपुर उप राजधानी है और आगे चल कर मुम्बई से कोलकाता तक यह लाइन जुड़ सकती है ।...(व्यवधान) इसलिए मेरा इतना ही सवाल था कि यह परियोजना जो तीसरे...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी।

श्री पीयूष गोयल : सर, सबसे पहले तो मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब महाराष्ट्र में थी, तब कोई स्थानांतरण नहीं हुआ।...(व्यवधान) कोई महाराष्ट्र से अन्य राज्य में नहीं गया। यह अलग बात है कि आज की वर्तमान सरकार का जो रवैया व काम है और जिस प्रकार से कोविड की महामारी तक में वह फेल हो गए हैं और ... * सरकार चला रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से लोग अगर मुम्बई छोड़ेंगे तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? वह माननीय सदस्य को खुद सोचना पड़ेगा।...(व्यवधान)

आज परिस्थिति यह है कि हम देश भर में विकास चाहते हैं और देश के विकास में, चाहे मुम्बई से अहमदाबाद की लाइन हो, चाहे मुम्बई से नागपुर लाइन हो या मुम्बई से कोलकाता या दिल्ली के लिए हो, सभी जगहों का विकास करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है।...(व्यवधान) मैं चाहूंगा कि अगर राज्य सरकार चाहती है कि विकास हो तो हमें और सहयोग करे। जो लाइनें ऑलरेडी निर्धारित हैं और अप्रूव्ड हैं, जिनके लिए महाराष्ट्र ने अप्रूवल दे रखा है, उसमें सहयोग नहीं है और हमें पता नहीं है कि आगे की लाइनों में कैसा रवैया रहेगा? ...(व्यवधान)

श्री मनोज कोटक: अध्यक्ष महोदय, शिव सेना के हमारे साथी ने जो प्रश्न किया कि मुम्बई से नागपुर बुलेट ट्रेन कब शुरू होगी तो बुलेट ट्रेन के बारे में उनके पक्ष की भूमिका आज सदन के सामने आयी है। ...(व्यवधान) मैं उनको बधाई देता हूं कि उन्होंने कम से कम यह माना कि बुलेट ट्रेन देश के विकास के लिए आवश्यक है। मुम्बई से अहमदाबाद, नागपुर, नासिक और पुणे, माननीय मंत्री जी यह बताएं की बीकेसी में जहां स्टेशन बनने वाला है, जहां से यह ट्रेन शुरू हो सकती है...(व्यवधान) माननीय सदस्य ने यह तो बताया कि मुम्बई से नागपुर चाहिए, लेकिन मुम्बई में जहां इसका स्टेशन बनना है, वहां की भूमि ट्रांसफर हुई या नहीं हुई। यह मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं। ...(व्यवधान)

* Not recorded

श्री पीयूष गोयल : माननीय अध्यक्ष जी, हमारे कई प्रयासों के बावजूद अभी तक जिस भूमि पर स्टेशन का निर्माण होना है और हाई स्पीड रेल शुरू होनी है, वह अभी तक केन्द्र या रेलवे को नहीं मिली है। अगर वही भूमि नहीं मिलेगी और शुरूआत ही नहीं हो पाएगी तो आगे के कार्य कैसे होंगे, यह मेरी समझ के बाहर है। …(व्यवधान)

श्री अरविंद सावंत: माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी जो कुछ भी बता रहे हैं, वह आधा सच बता रहे हैं। सच्चाई यह है कि आज केन्द्र सरकार की तरफ से राज्य सरकार को 1 लाख करोड़ रुपये आना है, वह पैसे ये नहीं दे रहे हैं। …(व्यवधान) मेट्रो कार शेड के लिए जमीन का जो झगड़ा चल रहा है, उसके ऊपर आपने चुप्पी साध रखी है। वहां आपके सहयोग की आवश्यकता है, आप वहां सहयोग कीजिए। आप जिद कर रहे हैं कि गोरेगांव नहीं होगा।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपका प्रश्न क्या है?

…(व्यवधान)

श्री अरविंद सावंत: हमारी सरकार इनसे मांग कर रही है और जो बुलेट ट्रेन से भी आवश्यक है- लोकल ट्रेन की सुविधा और मेट्रो ट्रेन की सुविधा के बारे में आपने क्या कदम उठाए**,** इसके बारे में मैं जानना चाहता हूं।…(व्यवधान)

श्री पीयूष गोयल : अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि एक पार्टी के दो सांसदों की अलग-अलग मांग है। एक माननीय सदस्य चाहते हैं कि नागपुर में बुलेट ट्रेन चले और दूसरे चाहते हैं कि नागपुर में नहीं चलनी चाहिए। मैं समझता हूं कि राज्य सरकार को यह तय करना चाहिए कि उनकी क्या मांग है और वे क्या चाहते हैं? …(व्यवधान) जहां तक 1 लाख करोड़ रुपये की बात है तो यह सरासर गलत आरोप लगाए जा रहे हैं। मैं माननीय सदस्य को यह डिटेल दे दूंगा कि हमें यानी रेलवे को महाराष्ट्र सरकार से

कितना पैसा मिलना बाकी है। महाराष्ट्र सरकार का सहयोग न मिलने के कारण हमारी कितनी रेल लाइनों का काम आगे नहीं बढ़ पा रहा है और कितने ही प्रोजेक्ट अटके हुए हैं? मैं मेट्रो शेड का भी जवाब दे देता हूं । ...(व्यवधान) सर, मेट्रो शेड के लिए एक पूरा प्रोजेक्ट तैयार है, मेट्रो का शेड निर्धारित जगह पर बनना है और बन चुका है, लेकिन राज्य सरकार एक ईगो के कारण केन्द्र सरकार की जमीन ...* को लेने के लिए एक कानून बना दिया । ...(व्यवधान) साल्ट कमिश्नर की जमीन के लिए राज्य सरकार के पास कोई अधिकार नहीं है कि वह अपने आप इसे ले सके । उसका एक प्रोसिजर और प्रोसैस है। बिना प्रोसैस को फॉलो किए केन्द्र सरकार की जमीन राज्य सरकार ...* ले, ऐसा कोई नियम देश में नहीं है। ...(व्यवधान)

* Not recorded

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 224, श्री दीपक बैज – उपस्थित नहीं।

(Q. 224)

माननीय अध्यक्ष :श्री जगदम्बिका पाल।

...(व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल: अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं।...(व्यवधान)

महोदय, माननीय मंत्री जी ने काफी विस्तार से इस बात को स्वीकार किया है कि वर्तमान सरकार में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में न केवल बुलेट ट्रेन चलाने की हमारी नीति है, अपितु हाई स्पीड रेल और सेमी हाई स्पीड रेल चलाने की भी हमारी योजना है।...(व्यवधान) इस दिशा में नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन की स्थापना की गयी है। नीति आयोग के द्वारा क्षेत्रीय असंतुलन के तहत 112 डिस्ट्रिक्ट को आइडेंटिफाई किया गया है।...(व्यवधान) देश में क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के लिए, कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए हमारी सरकार ने नई रेल लाइनों को स्वीकृत किया है, जिसके लिए मैं अपनी सरकार का आभार व्यक्त करता हूं, प्रधानमंत्री जी और रेल मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं।...(व्यवधान) मैं जानना चाहता हूं कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट सिद्धार्थ नगर, बलरामपुर, बहराइच और श्रावस्ती हैं, ऐसे ही यूपी के आठ जिले एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिनमें से चार जनपद के लिए एक नई रेल लाइन स्वीकृत की गयी है।...(व्यवधान) वह हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केबिनेट ने की है। मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी उस स्वीकृत नई रेल लाइन खलीलाबाद से बलरामपुर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, उतरौला का काम कब तक प्रारम्भ हो जाएगा और कब तक कम्प्लीट होगा? ...(व्यवधान)

श्री पीयूष गोयल: अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय जगदम्बिका पाल जी का धन्यवाद करूंगा कि वे और उनके साथ बहुत ही कर्मठ, हमारे सात सांसद, जो उस इलाके के हैं, उन्होंने दिन-रात मेहनत कर के, दिन-रात सरकारी व्यवस्थाओं के पीछे पड़ कर, इस बहुत ही महत्वपूर्ण योजना को स्वीकृति दिलाई। …(व्यवधान) मैं माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी का भी धन्यवाद करूंगा कि पांच एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को जोड़ने वाली इस लाइन को माननीय प्रधान मंत्री जी ने स्वीकृति दी और इच्छा जाहिर की कि जल्द से जल्द इस काम को शुरू किया जाए। …(व्यवधान) मुझे आपको बताते हुए खुशी होती है कि उसके डिटेल्ड सर्वे का काम तेज़ गति से चल रहा है। …(व्यवधान) जो ज़मीन अधिग्रहण करनी है, पहले चरण में उसकी डिटेल्स तैयार हो रही हैं। …(व्यवधान) जल्द ही हम राज्य सरकार को लैण्ड एक्विज़िशन के काम के लिए डिटेल्स देंगे। …(व्यवधान) आप सब उसमें सहयोग करें। …(व्यवधान) जिस प्रोजेक्ट पर ज़मीन पूरी तरीके से हमारे हाथ में आ जाए, उस हिस्से को हम जल्द से जल्द शुरू करेंगे। …(व्यवधान)

श्री रितेश पाण्डेय: माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा कि स्टेटिसटिक्स एवं प्रोग्राम इम्पिलिमेंटेशन मिनिस्ट्री की सन् 2018 की रिपोर्ट के हिसाब से यह बताया जा रहा है कि करीब 367 प्रोजेक्ट्स में से 94 प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं, जो अपनी समयावधि से ज्यादा, जिसमें उनको कम्पलीट होना था, उसको पार कर चुके हैं। …(व्यवधान) इन प्रोजेकट्स में करीब 20-25 सालों से ज्यादा डिले हो रखा है। …(व्यवधान) जो उसकी कॉस्ट है, उसमें 131 पर्सेंट की वृद्धि भी हुई है। …(व्यवधान) मेरे संसदीय क्षेत्र में भी एक लाइन डबल हो रही है, जो फैजाबाद से सीधे अकबरपुर को जोड़ते हुए और आगे बढ़ती है। …(व्यवधान) उस प्रोजेक्ट में भी डिले हो रहा है। …(व्यवधान) यह जो कॉस्ट एक्सक्लेशन हो रहा है और प्रोजेक्ट डिले हो रहा है, इसको कम करने के लिए मिनिस्ट्री ने क्या-क्या कदम उठाए हैं? …(व्यवधान)

इसी के साथ-साथ, मेरे ही क्षेत्र में कटेहरी विधान सभा के अंदर एक रेलवे क्रॉसिंग है, जिसको बंद किया जा रहा है। ...(व्यवधान) इसी लाइन को डबल करने के लिए बंद किया जा रहा है। ...(व्यवधान) जिसकी वजह से करीब पचास हजार लोगों का आवागमन बाधित हो गया है। ...(व्यवधान) माननीय मंत्री जी, मैंने आपको ही एक चिट्ठी दी थी, जिसमें मैंने निवेदन किया था कि इस क्रॉसिंग को खोला जाए और यह जो पचास हजार लोगों के गांव का आवागमन है, इसको रोका न जाए। ...(व्यवधान) इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? ...(व्यवधान)

श्री पीयूष गोयल: माननीय महोदय, आपके माध्यम से इस बात को सदन को बताते हुए मुझे बड़ा खेद है कि पिछली सरकारों ने, सन् 2014 के पहले अनाप-शनाप घोषणाएं की थीं। ...(व्यवधान) योजनाओं के बारे में लोगों को भ्रमित किया। ...(व्यवधान) बिना कोई आवंटन किए, बिना पैसे की उपलब्धता के, बिना निवेश होने के, सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए अनाउंसमेंट्स किए। ...(व्यवधान) प्रोजेक्ट्स के नाम घोषित किए। ...(व्यवधान) लेकिन कभी पैसे नहीं दिए। ...(व्यवधान) माननीय अध्यक्ष जी के माध्यम से, मुझे आप सबको अवगत कराते हुए बड़ी खुशी है कि जो निवेश सन् 2014 के पहले औसतन् साधारणत: 40-45 हजार करोड़ सालाना, इन्फ्रास्ट्रक्चर या सेफ्टी के कामों में होता था, वह इस वर्ष के बजट में, जो पहली फरवरी को निर्मला जी ने पेश किया था, उसमें पांच गुना बढ़ा कर दो लाख 15 हजार करोड़ रुपये कर दिया गया है। ...(व्यवधान) इसमें पांच गुना बढ़ा दिया गया। ...(व्यवधान)

यह इसलिए करना पड़ा क्योंकि पहले जो इतनी घोषणाएं हुईं, उनके लिए कभी निवेश नहीं किया गया था। ... (व्यवधान) अब हमारी सरकार एक-एक प्रोजेक्ट को पूरा करने में लगी है, लेकिन कई जगहों पर हमें सहयोग नहीं मिलता। ...(व्यवधान) मैंने अभी महाराष्ट्र का उदाहरण दिया।...(व्यवधान) इसी तरह, पश्चिम बंगाल में एक रेलवे लाइन का काम वर्ष 1974 से चल रहा

है ।...(व्यवधान) आज से 47 साल पहले उस लाइन का काम शुरू हुआ था ।...(व्यवधान) राज्य सरकार उसके लिए जमीन ही नहीं दे रही है तो फिर रेलवे की लाइन कहां लगेगी क्योंकि रेलवे लाइन तो जमीन पर ही लगेगी ।...(व्यवधान)

मैं समझता हूं कि अब समय आ गया है कि सभी राज्य सरकारें हमें सपोर्ट करें, हमें जमीन दें, तो हम जल्द से जल्द प्रोजेक्ट खत्म कर सकें ।...(व्यवधान)

महोदय, माननीय सदस्य की स्पेसिफिक लाइन का जवाब मैं लिखित में दूंगा, वह अभी यहां नहीं है ।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, आपको जनता ने चुनकर लोकतंत्र की सर्वोच्च संस्था संसद में इसलिए भेजा था कि आप चर्चा करें, संवाद करें, जनता की भावनाओं की अभिव्यक्ति करें, लेकिन आप रोज सदन के अन्दर केवल नारेबाजी करते हैं, अमर्यादित व्यवहार करते हैं, यह किसी भी तरह से उचित नहीं है ।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, मैं आपसे आग्रह करता हूं, आपसे निवेदन करता हूं कि हमें संसद की गरिमा को बनाए रखना चाहिए । संसद पूरे देश के अन्दर लोकतांत्रिक संस्थाओं का मार्गदर्शन करती है ।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, आपका व्यवहार कतई उचित नहीं है । आपका यह तरीका गलत है । आप कोई विषय पर, किसी मुद्दे पर चर्चा नहीं करना चाहते, संवाद नहीं करना चाहते ।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, आप अपनी सीट्स पर जाकर बैठिए। मैं आपको चर्चा के लिए पर्याप्त अवसर, पर्याप्त समय दूंगा।

…(व्यवधान)

———————

*WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

(Starred Question Nos. 225 to 240
Unstarred Question Nos. 2531 to 2760)
(Page no. 34-687)

* Available in Master copy of Debate, placed in Library.

माननीय अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही आज अपराह्न साढ़े बारह बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

11.33 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Thirty Minutes past Twelve of the Clock.

12.30 hrs

The Lok Sabha reassembled at Thirty Minutes past Twelve of the Clock.

(Shri Rajendra Agrawal *in the Chair*)

…(व्यवधान)

12.30 ½ hrs

At this stage, Shri Ravneet Singh, Shri Benny Behanan, Shri Gurjeet Singh Aujla and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

…(व्यवधान)

माननीय सभापति: माननीय सदस्यगण, मुझे कुछ माननीय सदस्यों द्वारा कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। माननीय अध्यक्ष जी ने किसी भी स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है।

…(व्यवधान)

12.31 hrs

PAPERS LAID ON THE TABLE

माननीय सभापति: अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे।

आइटम नंबर 2 से 8, श्री अर्जुन राम मेघवाल जी।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): माननीय सभापति जी, श्री राजनाथ सिंह जी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, पुणे के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, पुणे के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 3810/17/21]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): माननीय सभापति जी, श्री प्रह्लाद जोशी जी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) इंटरनेशनल जिओलॉजिकल कांग्रेस, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 से 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंटरनेशनल जिओलॉजिकल कांग्रेस, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 से 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 3811/17/21]

(2) (एक) कोल माइंस प्रोविडेंट फंड आर्गेनाइजेशन, धनबाद के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कोल माइंस प्रोविडेंट फंड आर्गेनाइजेशन, धनबाद के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 3812/17/21]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): माननीय सभापति जी, श्री श्रीपाद येसो नाईक जी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, विशाखापत्तनम के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, विशाखापत्तनम का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 3813/17/21]

(ख) (एक) गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 3814/17/21]

(ग) (एक) मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 3815/17/21]

(घ) (एक) गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, गोवा के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, गोवा का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 3816/17/21]

(ड़) (एक) मिश्र धातु निगम लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मिश्र धातु निगम लिमिटेड, हैदराबाद का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले पांच विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 3817/17/21]

(3) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड तथा रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 2020-2021 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 3818/17/21]

(दो) हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड तथा रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 2020-2021 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 3819/17/21]

(तीन) गोवा शिपयार्ड लिमिटेड तथा रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 2020-2021 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 3820/17/21]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): माननीय सभापति जी, डॉ. जितेन्द्र सिंह जी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) सेंटर फॉर एक्सेलेंस इन बेसिक साइंसेस, मुंबई के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंटर फॉर एक्सेलेंस इन बेसिक साइंसेस, मुंबई के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 3821/17/21]

(2) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) इलेक्ट्रॉनिक कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इलेक्ट्रॉनिक कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, हैदराबाद का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 3822/17/21]

(3) नॉर्थ इस्टर्न हैण्डीक्राफ्ट्स और हैण्डलूम्स डेपलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड तथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के बीच वर्ष 2020-2021 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति।

[Placed in Library, See No. LT 3823/17/21]

(4) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) भारतीय पुलिस सेवा (काडर संख्या का नियतन) चौथा संशोधन विनियम, 2018 जो 21 दिसम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 780(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) चौथा संशोधन विनियम, 2018 जो 21 दिसम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 781(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय प्रशासनिक सेवा (काडर संख्या का नियतन) संशोधन विनियम, 2020 जो 30 दिसम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 812(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) संशोधन नियम, 2020 जो 30 दिसम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 813(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) भारतीय प्रशासनिक सेवा (काडर संख्या का नियतन) संशोधन विनियम, 2021 जो 28 जनवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 50(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(छह) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) संशोधन नियम, 2021 जो 28 जनवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 51(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सात) भारतीय प्रशासनिक सेवा (काडर संख्या का नियतन) दूसरा संशोधन विनियम, 2021 जो 9 फरवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 107(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) दूसरा संशोधन नियम, 2021 जो 9 फरवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 108(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[Placed in Library, See No. LT 3824/17/21]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): माननीय सभापति जी, श्री हरदीप सिंह पुरी जी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) ईसीजीसी लिमिटेड (एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कारपोरेशन ऑफ इंडिया

लिमिटेड), मुंबई के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) ईसीजीसी लिमिटेड (एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड), मुंबई का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 3825/17/21]

(2) (एक) भारतीय काजू निर्यात संवर्धन परिषद, कोल्लम के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय काजू निर्यात संवर्धन परिषद, कोल्लम के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 3826/17/21]

(3) (एक) एग्रीकल्चरल एण्ड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) एग्रीकल्चरल एण्ड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 3827/17/21]

(4) विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 19 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ. 1681(अ) जो 28 मई, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पैरासिटामोल एपीआई की निर्यात नीति में संशोधन के बारे में है।

(दो) का.आ. 1698(अ) जो 1 जून, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर्स की निर्यात नीति में संशोधन के बारे में है।

(तीन) का.आ. 1819(अ) जो 10 जून, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो नैदानिक किट/प्रयोगशाला रिजेन्ट्स/नैदानिक अपारट्स की निर्यात नीति में संशोधन के बारे में है।

(चार) का.आ. 1860(अ) जो 12 जून, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मानव भ्रूणों की निर्यात नीति में संशोधन के बारे में है।

(पांच) का.आ. 1963(अ) जो 18 जून, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हाइड्रोक्लोरोक्वीन एपीआई और उसके फार्मूलेशन्स की निर्यात नीति में संशोधन के बारे में है।

(छह) का.आ. 1996(अ) जो 22 जून, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण/मास्कों की निर्यात नीति में संशोधन के बारे में है।

(सात) का.आ. 2125(अ) जो 29 जून, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण की निर्यात नीति में संशोधन के बारे में है।

(आठ) का.आ. 2311(अ) जो 13 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मास्क और कवरऑल्स के लिए वस्त्र कच्ची सामग्री की निर्यात नीति में संशोधन के बारे में है।

(नौ) का.आ. 2405(अ) जो 21 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण/मास्कों की निर्यात नीति में संशोधन के बारे में है।

(दस) का.आ. 2471(अ) जो 28 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण/मास्कों की निर्यात नीति में संशोधन के बारे में है।

(ग्यारह) का.आ. 2586(अ) जो 4 अगस्त, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो वेंटिलेटरों की निर्यात नीति में संशोधन के बारे में है।

(बारह) का.आ. 2680(अ) जो 10 अगस्त, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आईटीसी (एचएस) निर्यात नीति, 2018, अध्याय 10 अनुसूची 2, क्रम सं. 55 और 57 की नीति शर्त में संशोधन के बारे में है।

(तेरह) का.आ. 2720(अ) जो 11 अगस्त, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो वर्ष 2020-21 के दौरान मालदीव गणराज्य को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के बारे में है।

(चौदह) का.आ. 2797(अ) जो 18 अगस्त, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मास्क और कवरऑल्स के लिए वस्त्र कच्ची सामग्री की निर्यात नीति में संशोधन के बारे में है।

(पंद्रह) का.आ. 2860(अ) जो 25 अगस्त, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण/मास्कों की निर्यात नीति में संशोधन के बारे में है।

(सोलह) का.आ. 3130(अ) जो 14 सितम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो प्याज की निर्यात नीति में संशोधन के बारे में है।

(सत्रह) का.आ. 3471(अ) जो 6 अक्तूबर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण/मास्कों की निर्यात नीति में संशोधन के बारे में है।

(अठारह) का.आ. 3504(अ) जो 9 अक्तूबर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो प्याज की निर्यात नीति में संशोधन के बारे में है।

(उन्नीस) का.आ. 3610(अ) जो 15 अक्तूबर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर्स की निर्यात नीति में संशोधन के बारे में है।

(बीस) का.आ. 3750(अ) जो 22 अक्तूबर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो नाइट्राइल/एनबीआर ग्लव्स की निर्यात नीति में संशोधन के बारे में है।

(इक्कीस) का.आ. 3903(अ) जो 29 अक्तूबर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो प्याज बीजों की निर्यात नीति में संशोधन के बारे में है।

(बाईस) का.आ. 4641(अ) जो 22 दिसम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो चिकित्सकीय गोगल्स और नाइट्राइल/एनबीआर ग्लव्स की निर्यात नीति में संशोधन के बारे में है।

(तेईस) का.आ. 4740(अ) जो 28 दिसम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो प्याज की निर्यात नीति में संशोधन के बारे में है।

[Placed in Library, See No. LT 3828/17/21]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): माननीय सभापति जी, श्री संजय धोत्रे जी की ओर से, मैं कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) आईटीआई लिमिटेड, बैंगलुरू के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) आईटीआई लिमिटेड, बैंगलुरू का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 3829/17/21]

(2) (एक) महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 3830/17/21]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): माननीय सभापति जी, श्री वी. मुरलीधरन जी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(3) नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 3831/17/21]

———

12.32 hrs

ASSENT TO BILLS

SECRETARY-GENERAL: Sir, I lay on the Table the Major Port Authorities Bill, 2021; and the Jammu and Kashmir Reorganisation (Amendment) Bill, 2021, passed by the Houses of Parliament during the first part of the Fifth Session of Seventeenth Lok Sabha and assented to by the President since a report was last made to the House on the 2nd February, 2021.

———————

12.32 ½ hrs

STANDING COMMITTEE ON INFORMATION TECHNOLOGY
22nd to 25th Reports

COL. (RETD.) RAJYAVARDHAN RATHORE (JAIPUR RURAL): Sir, I beg to present the following Reports (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Information Technology (2020-21):-

(1) Twenty-second Report on 'Demands for Grants (2021-22)' of the Ministry of Communications (Department of Posts).

(2) Twenty-third Report on 'Demands for Grants (2021-22)' of the Ministry of Communications (Department of Telecommunications.

(3) Twenty-fourth Report on 'Demands for Grants (2021-22)' of the Ministry of Electronics and Information Technology.

(4) Twenty-fifth Report on 'Demands for Grants (2021-22)' of the Ministry of Information and Broadcasting.

_____

12.33 hrs

STANDING COMMITTEE ON PETROLEUM AND NATURAL GAS
5th and 6th Reports

SHRI UNMESH BHAIYYASAHEB PATIL (JALGAON): Sir, I beg to present the following Reports (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Petroleum and Natural Gas:-

(1) Fifth Report on 'Demands for Grants (2021-22)' of the Ministry of Petroleum and Natural Gas.

(2) Sixth Report on the subject 'Review of Progress in Production of Non-Conventional Fuels with Specific Reference to Bio-Fuels'.

_____

12.34 hrs

BUSINESS OF THE HOUSE

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): With your permission, Sir, I rise to announce that Government Business during the week commencing Monday, the 15th of March, 2021 will consist of:

1. Consideration of any items of Government Business carried over from today's order paper: - [it contains (i) Statutory Resolution seeking disapproval of the National Capital Territory of Delhi Laws (Special Provisions) Second (Amendment) Ordinance, 2020 (No. 15 of 2020) promulgated by the President of India on 30th December, 2020 and consideration and passing of the National Capital Territory of Delhi Laws (Special Provisions) Second (Amendment) Bill, 2021 as passed by Rajya Sabha. (ii) Discussion and voting on Demands for Grants under control of the Ministry of Railways for 2021-22 (iii) Consideration and passing of the Constitution (Scheduled Castes) Order (Amendment) Bill, 2021; and (iv) Discussion and voting on Demands for Grants under the control of the Ministry of Education for 2021-22.]

2. Discussion and voting on Demands for Grants for 2021-22 of the following Ministries:
   (i) Health and Family Welfare;
   (ii) Road Transport and Highways; and
   (iii) Housing and Urban Affairs
3. Introduction, consideration and passing of the Appropriation Bills relating to:
   (i) Demands for Grants for 2021-22
   (ii) Supplementary Demands for Grants 2020-21
4. Guillotining of outstanding Demands for Grants in respect of Union Budget for 2021-22.
5. Consideration and passing of the Finance Bill, 2021.

———

12.35 hrs

MOTION RE: 20TH REPORT OF BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): महोदय, with your permission, श्री प्रहलाद जोशी जी की ओर से, I beg to move the following:

"That this House do agree with the Twentieth Report of the Business Advisory Committee presented to the House on 9th March, 2021."

माननीय सभापति: प्रश्न यह है **:**

"कि यह सभा 9 मार्च, 2021 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के 20वें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

…(व्यवधान)

12.36 hrs

ANNOUNCEMENT BY THE CHAIR
Cancellation of sitting of the House

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण**,** मुझे सभा को सूचित करना है कि कार्य मंत्रणा समिति की 8 मार्च, 2011 को हुई बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार शुक्रवार, 12 मार्च, 2021 के लिए निर्धारित सभा की बैठक को रद्द किया जाता है।

…(व्यवधान)

12.37 hrs

MATTERS UNDER RULE 377*

माननीय सभापति : जिन माननीय सदस्यों को आज नियम 377 के अधीन मामलों को उठाने की अनुमति प्रदान की गई है, वे अपने मामलों के अनुमोदित पाठ को 20 मिनट के अंदर व्यक्तिगत रूप से सभा पटल पर रख दें।

…(व्यवधान)

(i) Need to construct a Railway underbridge on level crossing No. 82B in Pratapgarh Parliamentary Constituency, Uttar Pradesh

श्री संगम लाल गुप्ता (प्रतापगढ़): लोकसभा क्षेत्र प्रतापगढ़ अंतर्गत स्थित समपार रेलवे क्रॉसिंग संख्या 82 बी जो चौक घंटाघर से जेल रोड जाने वाली सड़क के बीच में पड़ती है , की टीयूवी तीन लाख से अधिक है और रेलवे क्रॉसिंग बंद हो जाने के कारण वहां घंटो-घंटो चौक घंटाघर से लेकर जनपद कारागार तक जाम लगा रहता है इसलिए प्राथमिकता के आधार पर वहां रेलवे अंडरब्रिज का निर्माण तत्काल कराया जाय ।

* Treated as laid on the Table

(ii) Regarding levy of GST (RCM) on cotton

श्री रामदास तडस (वर्धा): मुझे माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान कपास खरीद पर लगाये जा रहे GST RCM की ओर आकृष्ट करते हुए कहना है कि विदर्भ मे कपास का उत्पादन देश के कुल उत्पादन का 40 प्रतिशत है । व्यापारियो को कपास खरीदते समय GST RCM का तुरंत नगद भुगतान करना पड़ता है जिससे कपास व्यवसायियो का लाखो करोड़ो रूपये 6 माह से एक वर्ष तक ब्लाक हो जाता है । अतः व्यापारियों के हित को ध्यान मे रखते हुए GST RCM जो कपास खरीद के समय सरकार ले रही है उसको जब व्यापारी कपास को बेचे उस समय GST RCM लिया जाए जिससे कपास व्यापारियों को राहत मिल सके ।

(iii) Regarding virtual hearing of court cases

SHRIMATI MEENAKASHI LEKHI (NEW DELHI) : During the lockdown, courts all over the country went online and started conducting virtual hearings of cases. At present, courts use third-party software applications such as Vidyo, Zoom, Cisco and Jitsi to conduct virtual hearings. This raises serious data security and privacy concerns as these applications are foreign and privately owned. Moreover, during peak hours, the video conferencing system is riddled with technical glitches as many people try to login at the same time which crashes the system. Therefore, I request the Ministry of Electronics and Information Technology to develop an indigenous and specialised software for the conduct of virtual hearings.

(iv) Regarding status of sanctioned irrigation projects in Khajuraho Parliamentary Constituency, Madhya Pradesh

श्री विष्णु दत्त शर्मा (खजुराहो): मेरे संसदीय क्षेत्र खजुराहो के अंतर्गत बुंदेलखंड पैकेज आर आर आर एवं अन्य केंद्रीय मद से स्वीकृत सिंचाई परियोजनाओं के लिए सरकार द्वारा अब तक कितनी धनराशि प्राप्त हुई है तथा बुंदेलखंड के किन-किन जिलों में यह योजनाओं के लिए स्वीकृत हुई है । मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि सिंचाई की किन-किन योजनाओं को पूर्ण कर लिया गया है तथा किन कंपनियों में तकनीकी खराबी या ठेकेदारों की मनमानी से गुणवत्ता पूर्ण कार्य नहीं होने के कारण आज भी किसानों को सिंचाई का लाभ नहीं मिल पा रहा है । सिंचाई परियोजना के लिए निर्माण एजेंसी की लापरवाही से कितनी शासकीय राशि की क्षति हुई है सिंचाई संघ रचना वार जानकारी उपलब्ध कराएं तथा कृपया बताएं कि यह राशि किस से कितनी वसूली गई है यदि राशि वसूली नहीं गई तो क्यों यदि वसूली जाएगी तो कब तक क्या इन संरचनाओं को मानक स्तर तक पुनः बनाए जाने हेतु कोई योजना तैयार की गई है।

(v) Regarding demarcation of 'O' Zone in Delhi

श्री रमेश बिधूड़ी (दक्षिण दिल्ली): मैं माननीय शहरी विकास मंत्री श्री हरदीप पुरी जी का ध्यान मेरे संसदीय क्षेत्र में स्थित बदरपुर विधानसभा की तरफ केंद्रित कराना चाहता हूं। दिल्ली के मास्टर प्लान 2021 में दिल्ली को 15 zone में बांटा गया है। इनमें से एक zone 'O-Zone' कहलाता है। जो यमुना का फ्लड़ प्लेन जोन है। नदी की धारा अप्रभावित रहे एवं क्षेत्र में अतिक्रमण न हो इसलिए इस जोन में निर्माण प्रतिबंधित है। यमुना नदी के प्रदूषण को लेकर माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण में भी petition no.6/2012 लंबित है। इस zone का demarcation करना अत्यंत आवश्यक है। इस संदर्भ में माननीय NGT ने भी दिनांक 13-1-2015 को दिल्ली सरकार को निर्देशित किया था कि तत्काल demarcation कराया जाए परंतु 3 वर्ष बीतने के बाद भी demarcation नहीं किया गया। तत्पश्चात माननीय NGT ने 26 जुलाई 2018 को एक समिति का गठन किया जिससे यह demarcation सुनिश्चित किया जा सके। कमेटी की जून 2020 की रिपोर्ट में भी बदरपुर क्षेत्र में demarcation न होने की बात की गई है बदरपुर विधानसभा के मीठापुर, जैतपुर, हरिनगर इत्यादि कॉलोनियां जो कभी कृषि भूमि थी और समय के साथ उन पर अनियमित कॉलोनियां विकसित हुई। इन कॉलोनियों में 50-100 गज के मकान हैं जिनमें गरीब लोग रहते हैं। बढ़ते परिवार के साथ यदि वे और निर्माण करते हैं तो दिल्ली सरकार के अधिकारियों द्वारा इस पर आपत्ति जतायी जाती हैं। यह सभी कॉलोनियाँ 0-zone से बाहर हैं परंतु demarcation ना होने के कारण 0-zone के बाहर स्थित कॉलोनियों में रहने वालों को o-zone के नाम से डराया जाता है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने वर्ष 2022 तक सबको अपना मकान दिलाने का संकल्प लिया है परंतु दिल्ली सरकार उनकी सहायता के लिए आगे नहीं आ रही है। मेरा माननीय शहरी विकास मंत्री जी से अनुरोध है कि

वो माननीय LG साहब द्वारा डीडीए एवं राजस्व विभाग की एक संयुक्त टीम का गठन कर बदरपुर में 0-zone का demarcation कराना सुनिश्चित करें एवं जिन कॉलोनियों को zonal master plan ने अनुचित तरीके से 0-zone में डाला गया है जैसे जैतपुर एक्स्टेशन, इत्यादि को 0-zone श्रेणी से बाहर किया जा सके।

(vi) Need to set up a Kendriya Vidyalaya in Machhlishahr Parliamentary Constituency, Uttar Pradesh

श्री भोलानाथ 'बी. पी. सरोज' (मछलीशहर): मै यह बताना चाहता हूँ कि हमारे संसदीय क्षेत्र मछलीशहर की जनसंख्या लगभग 50 लाख है किन्तु यहाँ केन्द्रीय विद्यालय न होने के कारण बच्चो को शिक्षा ग्रहण करने लिए वाराणसी व प्रयागराज एव अन्य जनपदों में भेजना पड़ता है। इस क्षेत्र में शिक्षा का स्तर बढाने के लिए एक केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना अति आवश्यक है जिससे यहाँ के विद्याथियों का शिक्षा के क्षेत्र में सर्वागीण विकास हो सके। केन्द्रीय विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र के बच्चो के लिये शिक्षा का एक उचित माध्यम है अतः मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से जनहित में मांग करता हूँ कि विषय की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए यहाँ नया केन्द्रीय विद्यालय स्थापित करने के लिए जो भी प्रक्रिया है उसे पूरा किया जाये ताकि यहाँ के बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए दूसरे जनपदों में न जाना पड़े।

(vii) Need to restart the services of Ranchi - Sasaram Intercity Express

श्री विष्णु दयाल राम (पलामू): कोरोना महामारी के चलते रेल मंत्रालय ने बहुत सारी ट्रेनों का परिचालन बंद कर दिया था। धीरे-धीरे ट्रेनों का परिचालन सामान्य होते जा रहा है परंतु मेरे संसदीय क्षेत्र पलामू के अंतर्गत चलने वाली ट्रेन संख्या 18635/18636 रांची-सासाराम इंटरसिटी एक्सप्रेस का परिचालन प्रारंभ नहीं हुआ है । कोरोना संक्रमण अवधि में यों तो सभी ट्रेनों की Occupancy सामान्यतः कम हो गयी थी परंतु उक्त ट्रेन का Occupancy कम होने का एक बहुत बड़ा कारण यह भी है कि रेलवे आरक्षण काउण्टर बंद है तथा पोर्टल के माध्यम से जो बोगी आरक्षित है उसी का टिकट कट रहा है और अनारक्षित बोगी का टिकट नहीं मिल रहा है । जिसके कारण उक्त ट्रेन का Occupancy कम प्रतिवेदित की जा रही है। दूसरा कारण यह है कि प्रतिवेदित अवधि में झारखण्ड सरकार का मंत्रालय बंद था, बाजार बंद थे, कम संख्या में लोग यात्रा कर रहे थे। उक्त ट्रेन पलामू संसदीय क्षेत्र के लोगों के लिए लाइफ लाइन है। अतः माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध है कि यात्रियों के आवागमन में हो रही कठिनाईयों को देखते हुए उक्त ट्रेन को चालू करने की कृपा की जाय।

(viii) Need to enact population control law

श्री संजय सेठ (राँची): भारत ही नहीं पूरी दुनिया में बढ़ती जनसंख्या और सीमित होते प्राकृतिक संसाधन हमारे लिए बड़ी चिंता का विषय हैं। चाहे पानी की बात हो, पर्यावरण की बात हो या अन्य प्राकृतिक संसाधनों की बात हो। निश्चित रूप से बढ़ती हुई जनसंख्या इन सब के लिए ही बड़ी समस्या खड़ी कर रही है। हम अपने देश की बात करें आज भारत की जनसंख्या 130 करोड़ से अधिक हो चुकी है। देश की आजादी के बाद से लंबे समय तक सरकारों ने जागरूकता अभियान चलाएं ताकि लोग जनसंख्या नियंत्रण के महत्व को समझ सके, जनसंख्या नियंत्रण से जुड़ी मुहिम से जुड़ सकें। इस जागरूकता अभियान में करोड़ों रुपए खर्च हुए परंतु इसका कोई सार्थक परिणाम हमें देखने को नहीं मिला। जनसंख्या लगातार बढ़ती रही। अब जब हम हर क्षेत्र के विकास की बात कर रहे हैं यथा शिक्षा हो या रोजगार हो या व्यवसाय हो या फिर अन्य स्वास्थ्य सुविधाएं हो, सबके रहने के लिए आवास हो- इन सबकी चिंता करते हैं तो कहीं ना कहीं हमको यह दिखता है कि आज से दो-तीन दशक के बाद हमारे सामने बहुत बड़ी समस्या खड़ी होने वाली है। इसलिए महोदय यह जरूरी है कि सरकार इस देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लाए और उसे सख्ती से लागू करे। ताकि आने वाली पीढ़ियों को हम उनका सुरक्षित भविष्य दे सकें। बड़ी चिंता होती है जब आए दिन अखबारों में ऐसी खबरें पढ़ता हूं कि वहां प्राकृतिक संसाधन कम हो रहे हैं। बढ़ती भीड़ के कारण बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं। पर्यावरण के प्रति लोगों की चिंता देखता हूं, पानी के प्रति लोगों की चिंता देखता हूं तो ऐसी स्थिति में हमारे पास एक मात्र उपाय है कि हम सबसे पहले जनसंख्या नियंत्रण पर कानून बनाएं ताकि जो इनका पालन सुनिश्चित नहीं करें, उन्हें तमाम सरकारी सुविधाओं से वंचित किया जाए। "हम दो हमारे दो" इस स्लोगन को अब केवल स्लोगन रखने का समय नहीं रहा बल्कि इसे सख्ती से लागू करने का समय

आया है। मैं पूरे विश्वास और जिम्मेवारी के साथ यह बात कहता हूं कि यदि हमने जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं बनाया या इस पर हमने सख्ती नहीं दिखाई तो आने वाली पीढ़ियां हमें कभी माफ नहीं करेगी और हम उन्हें उनका सुरक्षित भविष्य नहीं दे पाएंगे।

(ix) Regarding movable and immovable property of Swadeshi Mining and Manufacturing Company in Uttar Pradesh

श्री पंकज चौधरी (महाराजगंज): मेरे संसदीय क्षेत्र की स्वदेशी माइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कं. की समस्त चल व अचल संपत्ति माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय 12 फरवरी 1988 के द्वारा भारत सरकार की है। 09 मई 2017 से स्वदेशी माइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, मा. उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश से लिक्विडेशन की प्रक्रिया में है। इस कंपनी की अचल संपत्तियों में 36 एकड़ में गणेश शूगर मिल परिसर,, 634 एकड़ चेहरी कृषि फार्म, 105 एकड़ बागापार कृषि फार्म, व 18 एकड़ औद्योगिक भूमि खलीलाबाद में है। जिसकी कीमत अनुमानतः दो हजार करोड़ रू. तथा देनदारी महज लगभग 25 से तीस करोड़ रू. की है। मेरा अनुरोध है कि सरकार इस कंपनी की देयताओं का भुगतान स्वयं करके अथवा मा. उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में देनदारी के सापेक्ष कंपनी की संपत्तियों को बेचकर भुगतान करने तथा कंपनी की शेष चल व अचल संपत्ति को अपने कब्जे में लेने की पैरवी करने पर विचार करे।

(x) Need to include Rajasthani language in the Eighth Schedule to the Constitution

श्री निहाल चन्द चौहान (गंगानगर): राजस्थानी भाषा को संवैधानिक मान्यता प्रदान कर आठवीं सूची में सम्मिलित करने की मांग पूरे राजस्थान में विभिन्न माध्यमों से काफ़ी समय से की जा रही है । किसी भी देश या प्रदेश की संस्कृति को सहेजने में वहाँ की भाषा की अहम भूमिका होती है । बिना मातृभाषा के मौलिक चिंतन संभव नहीं है । यह चिंताजनक है कि सम्पूर्ण तत्वों और लगभग 10 करोड़ से अधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली ये प्राचीन राजस्थानी भाषा आज तक बस अपने अस्तित्व की ही तलाश कर रही है । 25 अगस्त, 2003 को राजस्थान विधानसभा से संकल्प प्रस्ताव पास होने के बाद केंद्र सरकार को भेजा गया था, परन्तु इस पर अभी तक कोई सुनिश्चित कार्यवाही नहीं हो पाई है । राजस्थानी भाषा को संवैधानिक मान्यता मिलने से प्रदेश के प्रत्येक जिले की जनता को शिक्षा एवं रोजगार हासिल करने में भी मदद मिलेगी ।

(xi) Regarding inhuman plight of the nomadic Kadugolla community

SHRI G.S. BASAVARAJ (TUMKUR): I want to draw the attention of the centre through the Ministry of Social Justice and Empowerment towards the miserable and inhuman plight of the nomadic kadugolla community now scattered in central Karnataka around Tumkur, Chitradurga, Kolar, Hassan and Davanagere and also partly in Bellary and Raichur. This community numbering around more than 40 lakhs have no permanent habitation and they shift from one place to another with their cattle. Their customs date back to centuries and women in the community are subjected to tyrannical and inhuman treatment. They have been categorized under OBC'A' and are deprived of entitlement and opportunities that are available for other backward communities of this category. Beyond legal entitlement and privileges applicable to other backward communities, it is also necessary to attempt social reforms by leaders of all political parties who are keen to improve the living conditions of kadugolla community. I urge the centre to include the community in ST Status in the Centre.

(xii) Regarding pending dues of sugarcane farmers

SHRI JASBIR SINGH GILL (KHADOOR SAHIB): The cooperative Sugar Mills are unable to pay pending dues to the sugarcane farmers for their produce of year 2019-2020 because of non-payment of Export subsidy under Maximum Admissible Export Quantity (MAEQ) amounting to Rs. 44.27 crores and Buffer Stock subsidy claim of RS.16.04 crores. The above amounts are long pending. The export of sugar was made in the month of February-March, 2020, for which the export subsidy claim has been submitted to the Department of Food & Public Distribution, Govt. of India, New Delhi which should have been provided immediately thereafter.

Similarly, Buffer Stock subsidy claim is pending for the period up to July, 2020, amounting to Rs.16.04 crores. The total outstanding amount towards MAEQ and Buffer stock subsidy comes to Rs.60.31 crores.

This amount has to be credited directly in the accounts of sugarcane farmers. So early release of Rs.60.31 crores will not only enable the Cooperative Sugar Mills to clear pending dues of the sugarcane farmers for the season 2019-20 but also help the farmers in period of economic crisis due to COVID-19 situation.

(xiii) Regarding disinvestment in BEML

SHRI V.K. SREEKANDAN (PALAKKAD) : The stalled disinvestment in BEML in 2016 due to stiff opposition, has again resurfaced. The government invited expression of interest for privatisation in January 2021. This is a profit making company and has orders worth more than Rs.10,000 crore earned through global tenders.BEML has been manufacturing heavy military vehicles, rail and metro coaches and mining and construction vehicles. A Unit of BEML at Kanjikode in my parliamentary constituency has already delivered 1500 heavy military trucks, 300 railway coaches and 500 metro bogies and expected to produce 500 metro bogies this year. It employs 350 permanent employees and 150 contract workers. The employees associations are agitating against move of privatisation of BEML when it is earning profit. Therefore, I urge upon the Government not to privatise BEML in the interest of its employees, our nation and also to attain the very objective of much talked about Atmanirbhar.

(xiv) Regarding alleged controversial dealings of Kerala Government with an American company

SHRI T.N. PRATHAPAN (THRISSUR) : Kerala Government had some alleged controversial dealings with an American corporate company called EMCC for deep sea fishing. Project allows the company to bring 400 trawlers and 5 mother vessels. It also allows them to build own and operate 7 new harbours, to operate 200 retail markets, to operate 50 processing units etc. The MoUs and dealings have many controversial elements. Later, State Government withdrew the MoUs. But there are still so many flaws in this matter and this Government is dealing with a foreign company. So there should be an investigation by a central agency in the matter.

(xv) Need to provide Cargo facility at Shirdi Airport, Maharashtra

श्री सदाशिव किसान लोखंडे (शिर्डी): यह सांई श्रद्धालुओं के लिए प्रसन्नता की बात है कि केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के काफी अथक प्रयास से शिरडी में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट स्थापित किया गया है। इस संदर्भ में, अवगत कराना चाहूंगा कि मेरे द्वारा विगत लोक सभा में 11 अगस्त, 2014 एवं 23 जुलाई, 2014 में शिरडी और इसके निकटवर्ती सिन्नर, नासिक, औरंगाबाद आदि के किसानों की फल, फूल, सब्जी इत्यादि एवं कम्पनियों द्वारा निर्मित वस्तुओं का उन्हें अच्छा दाम मिल सके और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाबा के शिरडी धाम की ख्याति हो सके, शिरडी स्थित एयरपोर्ट पर कार्गों की सुविधा उपलब्ध कराए जाने हेतु अनुरोध किया गया था तथा मैंने इस प्रकरण को लोक सभा में भी प्रश्न एवं नियम 377 के अधीन सूचना के अधीन उठाया था। मुझे खुशी है कि राज्य सरकार के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने शिरडी स्थित एयरपोर्ट पर कार्गों की सुविधा प्रदत्त किए जाने हेतु केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजा था और इसप्रस्ताव को केन्द्र सरकार ने मान्यता भी दी है तथा राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री ने भी पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री के अनुक्रम में शिरडी एयरपोर्ट पर कार्गों की सुविधा प्रदान किए जाने हेतु केन्द्र सरकार से सभी औपचारिकताएं पूरी करते हुए आग्रह किया है। लेकिन, अब तक शिरडी में एयरपोर्ट पर कार्गो की शुरूआत नहीं हुई है, जिससे स्थानीय किसानों को कठिनाई हो रही अतः मेरा अनुरोध है कि शिरडी स्थित एयरपोर्ट पर कार्गो सर्विस, जिसकी राज्य सरकार और केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता दी जा चुकी है, अविलम्ब शुरुआत किए जाने हेतु निर्देश प्रदान करने का कष्ट करें।

(xvi) Need to appoint a Nodal Officer for Aspirational Districts

श्री चन्देश्वर प्रसाद (जहानाबाद): भारी उद्योग तथा सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय आकांक्षी जिलों में विकास के लिए केन्द्रिय सार्वजनिक उद्यमों के कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व कार्यक्रम चला रहा है। नीति आयोग 112 आकांक्षी जिलों में हितधारकों के साथ काम कर रहा है। मेरे संसदीय क्षेत्र जहानाबाद में गया जिले का अतरी विधानसभा क्षेत्र आता है जिसमें चार प्रखंड हैं। गया जिला एक आकांक्षी जिला घोषित है। नीति आयोग इस कार्यक्रम को चलाने के लिए एक नोडल एजेंसी है, जो केंद्र सरकार, राज्यों और जिला स्तर की विभिन्न एजेंसियों के बीच सहयोग कर रही है। मैंने क्षेत्र के सांसद होने के नाते पत्र के माध्यम से आकांक्षी जिला गया (बिहार) एवं नीति आयोग से सी.एस.आर. फण्ड की जानकारी देने की मांग की परंतु कोई भी विभाग चाहे नीति आयोग हो या जिला प्रशासन, मुझे आकांक्षी जिले के सी.एस.आर. फण्ड की जानकारी नही दे पाया है। मेरा भारत सरकार से आग्रह है कि आकांक्षी जिलों के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त करें और सीएसआर फण्ड की जानकारी जन-प्रतिनिधियों को देना सुनिश्चित करें ताकि कार्यों को गति मिले और कार्यक्रमों में पारदर्शिता बनी रहे।

———

माननीय सभापति : शून्य काल।

श्री भागीरथ चौधरी जी।

श्री भागीरथ चौधरी (अजमेर): सभापति महोदय, आपने मुझे शून्य काल में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, आभार।...(व्यवधान)

सभापति महोदय, अजमेर संसदीय क्षेत्र में स्थित किशनगढ़ उपखण्ड राजस्थान प्रदेश का सबसे बड़ा उपखण्ड मुख्यालय है। यह हाईवे नगरी के साथ-साथ विश्व प्रसिद्ध मार्बल मंडी के नाम से विख्यात है। ...(व्यवधान) किशनगढ़, दिल्ली-अहमदाबाद रेल मार्ग का प्रमुख स्टेशन भी है। यहां हाल ही में डीएफसीसी कोरीडोर योजना के तहत न्यू किशनगढ़ रेलवे स्टेशन का संचालन प्रारम्भ हुआ है। ...(व्यवधान) किशनगढ़ एवं आस-पास के क्षेत्रों में विभिन्न कृषि जिन्सों की भरमारता एवं उपलब्धता है। किशनगढ़ में भारतीय खाद्य निगम का एक छोटा डिपो भी है।...(व्यवधान) वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इसके अपर्याप्त होने के कारण आस-पास के किसान एवं व्यापारी अपने खाद्यान्न जिन्सों सहित अन्य जिन्सों का समुचित रख-रखाव एवं भण्डारण नहीं कर पा रहे हैं।...(व्यवधान) उन्हें मजबूरीवश दूरस्थ स्थित भण्डार गृहों पर जिन्सों को लाने-ले जाने में अत्यन्त कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ...(व्यवधान)

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से केंद्रीय खाद्य आपूर्ति मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि किशनगढ़, अजमेर में पर्याप्त भूमि की उपलब्धता के साथ-साथ रेल मार्ग एवं सड़क मार्ग से सीधा जुड़ाव होने के कारण भारतीय खाद्य निगम का एक नवीन बल्क अर्थात बड़े ड़िपो की स्थापना की सक्षम स्वीकृति वर्ष 2021-22 की विभागीय कार्यवाही योजनाओं को स्वीकृत करायें।...(व्यवधान)

माननीय सभापति: मेरा सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि कृपया आप सब अपनी सीट्स पर बैठ जाएं, सदन की कार्यवाही चलने दें। सभी माननीय सदस्य अपने विषय को रखना चाहते हैं इसलिए आप सब बैठ जाइए।

…(व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री; कोयला मंत्री तथा खान मंत्री (श्री प्रहलाद जोशी): सभापति महोदय, आज देश आजादी के 75वें ईयर्स का अमृत महोत्सव मना रहा है। इसकी कल एक उच्च स्तरीय मीटिंग भी हुई थी। 12 मार्च से अमृत महोत्सव कार्यक्रम की दांडी से शुरूआत हो रही है। इस बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी एक स्टेटमेंट देना चाहते थे। उसके लिए हमने माननीय स्पीकर महोदय को नोटिस भी दिया था। माननीय स्पीकर साहब ने इसकी अनुमति भी दी थी। इस पर सहमति नहीं बन पाई है इसलिए आज स्टेटमेंट नहीं हो रहा है। …(व्यवधान) जब सहमति बन जाएगी तब माननीय प्रधानमंत्री जी आजादी के अमृत महोत्सव के एक वर्ष के कार्यक्रम के बारे में जो कुछ देश में कार्यक्रम चल रहा है या चलने वाला है, उसके बारे में स्टेटमेंट देंगे। …(व्यवधान)

श्री विनायक भाउराव राऊत (रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग): सभापति महोदय, इस सभागृह के पूर्व सदस्य जो पिछले सात बार से दादरा और नागर हवेली से सांसद के रूप में चुन कर आते थे। उन्हें 35 सालों तक सांसद के रूप में सभागृह में बैठने का सौभाग्य था। ऐसे सदस्य को दुर्भाग्य से आत्महत्या करनी पड़ी, खुदकुशी करनी पड़ी, क्योंकि प्रशासन के कई अधिकारियों ने उनका जीना हराम कर दिया था। …(व्यवधान)

मोहन देलकर जी मुंबई में एक साधारण से होटल में रहे और वहां उन्होंने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या करने से पहले उन्होंने गुजराती में एक खत लिखा था। अगर उस खत को पढ़े तो उससे

मालूम होता है कि मोहन देलकर जैसे सीनियर खाजदार और सांसद को दादरा और नागर हेवली के प्रशासकीय अधिकारियों ने कैसी तकलीफ दी। ...(व्यवधान)

मैं सभागृह के सदस्यों को बोलना चाहता हूं, जब एक नया सदस्य चुन कर आता तो हम समझ सकते हैं, लेकिन 35 सालों तक इस सभागृह के सदस्य रहा, ऐसे सदस्य को खुदकुशी करनी पड़ी। ... *

वहां का एक साधारण प्रशासक, साधारण कलैक्टर और एसपी 35 सालों तक सांसद रहने वाले को इतना परेशान कर सकता है, यह कोई विश्वास नहीं कर सकता है।

महाराष्ट्र की महाविकास अगाड़ी सरकार ने इस प्रकरण की इंक्वायरी करने के लिए एटीएस का निर्माण किया है। इसकी वह अच्छी तरह से जांच कर रही है। मेरी आपसे विनती है, जो सदस्य इस सभागृह का 35 वर्षों तक सदस्य रहा, मोहन देलकर जी ने सबसे पहले अपनी तकलीफ लोक सभा अध्यक्ष जी के पास रखी, लोक सभा अध्यक्ष जी ने उन्हें न्याय देने की कोशिश की।

मेरी आपके माध्यम से प्रधानमंत्री जी से विनती है कि मोहन देलकर जी की आत्महत्या के लिए जो भी कारण हैं, जो जिम्मेदार हैं, वहां के प्रशासक, एसपी और कलैक्टर को सस्पेंड करें और उनके ऊपर 304 के तहत कार्रवाई करे। उनके ऊपर फौजदारी कार्रवाई होनी चाहिए। मोहन देलकर जी की मृत्यु को न्याय देने की आवश्यकता है। धन्यवाद।

माननीय सभापति : जो माननीय सदस्य इस विषय से संबंद्ध होना चाहते हैं, वे स्लीप भेज दें।

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा): सभापति महोदय, 22 फरवरी, 2021 को मोहन देलकर साहब की मौत हुई है, उससे आज पूरा सदन दुखी है। मैं आपके माध्यम से विनती करना चाहता हूं कि उनकी

* Expunged as ordered by the Chair.

मौत के बारे में सोलह पन्ने का सुसाइड नोट लिखा गया है, उसमें वहां के प्रशासक सहित लगभग एक दर्जन अधिकारियों के नाम हैं।

इससे पहले उन्होंने सदन में अपनी कुंठा और अपमान के मुद्दे को उठाया है।...(व्यवधान) उसको मंगवाकर देखना चाहिए। हम लोग जनप्रतिनिधि हैं। अपमान किसी भी जनप्रतिनिधि के लिए निंदनीय और उसकी गरिमा के खिलाफ है। ऐसी परिस्थिति में जब जनप्रतिनिधि ही सुरक्षित नहीं है, तो जनता की सुरक्षा की गारंटी कैसे हो सकती है? ...(व्यवधान) इसलिए, सदन के माध्यम से एक संदेश वहां की जनता के बीच जाना चाहिए।

मैं अपने मुख्य मंत्री जी के आदेश पर स्वयं उनकी श्रद्धांजलि सभा में गया था। उस शोक सभा में वहां के 20 से 25 हजार लोग शामिल हुए थे। उनकी आंखों में आंसू छलक रहे थे। उसको देखकर हम लोगों को भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उनके परिवार वाले काफी दु:खी थे। ...(व्यवधान) हम लोग भी दु:खी थे। हमारी एक ही मांग है कि वहां के जिस प्रशासक द्वारा उनको टार्चर किया जा रहा था, उस प्रशासक को तत्काल वहां से हटाया जाए। मैं आपसे विनती और निवेदन करूंगा कि वहां के प्रशासक को हटाया जाए और वहां की जनता की न्याय दिया जाए। बहुत-बहुत धन्यवाद। ...(व्यवधान)

श्री निहाल चन्द चौहान (गंगानगर): सभापति महोदय, मैं केंद्र सरकार का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ की ओर दिलाना चाहता हूं कि आईओसीएल और एचपीसीएल का वर्ष 2010-11 में जो तेल का डिपो था, वह बंद हो गया था। अगर, पूरे देश में देखा जाए, तो मेरे लोक सभा क्षेत्र में पेट्रोल और डीजल सबसे ज्यादा महंगा है। ...(व्यवधान) मैं समझता हूं वहां से बिल्कुल नजदीक पंजाब और हरियाणा में पेट्रोल और डीजल का भाव राजस्थान से 10 से 12 रुपये कम है। इससे राजस्थान को नुकसान होता है और किसानों को दोहरी मार झेलनी पड़ती है।...(व्यवधान)

श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में जोधपुर से जो तेल का डिपो आता है, अत्यधिक दूरी होने के कारण उस पर अधिक शुल्क लगाया जाता है, इससे राजस्थान के अन्य जिलों में श्रीगंगानहर जिले में सबसे ज्यादा महंगा तेल मिलता है। इससे आने वाले समय में और वर्तमान समय में किसानों को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है।...(व्यवधान) हमारे यहां से बठिंडा सिर्फ 80 किलो मीटर दूर है। मेरा आपके माध्यम से केंद्र सरकार से आग्रह है कि श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में तेल की सप्लाई को बठिंडा से जोड़ा जाए तथा वर्ष 2010-11 में जो डिपो बंद हो गया था, उसको पुन: चालू किया जाए, ताकि वहां की पेट्रोल और डीजल की दर को कम किया जाए। मैं आपके माध्यम से सरकार से यही आग्रह करना चाहता हूं। धन्यवाद, जय हिन्द। ...(व्यवधान)

श्री अरविंद सावंत (मुम्बई दक्षिण): आदरणीय सभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्ववाद। ...(व्यवधान) मेरे चुनाव क्षेत्र में मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स कंपनी है, जो केंद्र सरकार की कंपनी है। वह वारशिप, लडाकू जहाज और डिस्ट्रॉयर्स बनाती है। आज ही उन्होंने क्रंच नाम का एक नये पनडुब्बी का उद्घाटन किया है। लेकिन, मैं बहुत दु:ख के साथ बताना चाहता हूं कि इस कंपनी में दिसम्बर, 2019 में ... * नाम के एक सीएमडी आए थे। उन्होंने, उसके बाद से लेकर आज तक, यानी पिछले 15 महीने में एक भी मीटिंग अपने कर्मचारियों के प्रतिनिधि के साथ नहीं की है। वहां एक नव यूनियन है। उन्होंने मिलकर बार्गेनिंग काउंसिल भी बनाया है। ...(व्यवधान) वह अच्छी बात है। उसका स्वागत करना चाहिए। यहां प्रधान मंत्री जी कहते हैं- 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास' और वहां 15 महीने से एक सीएमडी अपने कर्मचारियों से बात नहीं कर रहा है और दूसरा, भ्रष्टाचार के मार्ग अपना रहा है। उसने सारी चीजें आउटसोर्सिंग कर दी हैं। जून, 2019 में एक एक्सीडेंट हुआ था, उसमें एक आउटसोर्सिंग कर्मचारी की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद, विशाखापट्टनम नाम के जहाज में आग लगी। उसके बाद, एक और आग लगी, उस मुद्दे को दबा दिया गया था । ...(व्यवधान) एक

* Not recorded.

सप्ताह बाद मर्मागाओ नाम के जहाज में आग लगी थी। वे दोनों कर्मचारी, जो जले हुए हैं, वे मसिना हॉस्पिटल में एडमिट हैं।

ऐसी स्थिति में मझगांव डॉक में पूरा अनरेस्ट है। वहां 3500 रेगुलर कर्मचारी हैं, तो 3500 आउटसोर्स किए हुए कर्मचारी भी हैं। जिनके पास स्किल नहीं है, उन लोगों को अप्वाइंट किया जाता है, लेकिन, जो 8-10 सालों से कंपनी में काम कर रहे हैं, उनको रेगुलर नहीं कर रहे हैं। 416 लोगों की इंटरव्यू ली गईं, सारी परीक्षाएं ली गईं, उनका मेडिकल भी किया गया, लेकिन सिर्फ 7 लोगों को ही अप्वाइंट किया गया। इसलिए, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि … * नाम के जो सीएमडी आए हैं, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए और जांच की जाए। …(व्यवधान)

जो नौसेना का पोत बनाते हैं, ऐसी एक शिप बिल्डिंग कंपनी को सुरक्षित किया जाए। …(व्यवधान) वहां के कर्मचारियों को सुरक्षित किया जाए। यह मेरी मांग है। महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।…(व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, नियम 377 के अधीन जिन माननीय सदस्यों के मामले स्वीकृत हैं, मैंने पहले भी अनाउंस किया है, यदि कोई माननीय सदस्य इस सूचना की ओर ध्यान न दे पाए हों, तो वे अपने मामले सभा पटल पर प्रस्तुत कर सकते हैं।

…(<u>व्यवधान</u>)

* Not recorded.

LIST OF MEMBERS WHO ASSOCIATED THEMSELVES WITH THE ISSUES RAISED UNDER MATTERS OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

सदस्य, जिनके द्वारा अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय उठाये गये।	सदस्य, जिन्होंने उठाए गए विषयों के साथ स्वयं को सम्बद्ध किया।
Shri Vinayak Bhaurao Raut	Shrimati Supriya Sadanand Sule Shri Shriniwas Dadasaheb Patil Shrimati Anupriya Patel Prof. Sougata Ray Shri Prataprao Jadhav Shri Arvind Sawant Shri Krupal Balaji Tumane Shri Hemant Patil Shri Sanjay Sadashivrao Mandlik Shri Rajendra Dhedya Gavit Shri Ritesh Pandey Shri Ramshiromani Verma Shri Malook Nagar Shrimati Sangeeta Azad
Shri Kaushlendra Kumar	Shri Ritesh Pandey Shri Ramshiromani Verma Prof. Sougata Ray Shri Malook Nagar
Shri Arvind Sawant	Shrimati Supriya Sadanand Sule Shri Malook Nagar

———

12.51 hrs

STATUTORY RESOLUTION RE: DISAPPROVAL OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI LAWS (SPECIAL PROVISIONS) SECOND (AMENDMENT) ORDINANCE, 2021
AND
NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI LAWS (SPECIAL PROVISIONS) SECOND (AMENDMENT) BILL, 2021

माननीय सभापति : आइटम नंबर 15 और 16.

श्री अधीर रंजन चौधरी जी।

…(व्यवधान)

माननीय सभापति : श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन जी।

…(व्यवधान)

माननीय सभापति : श्री मनीष तिवारी जी।

…(व्यवधान)

माननीय सभापति : श्री विनायक भाउराव राऊत जी।

…(व्यवधान)

माननीय सभापति : श्री जसबीर सिंह गिल जी।

…(व्यवधान)

माननीय सभापति : श्री कोडिकुन्नील सुरेश जी।

…(व्यवधान)

माननीय सभापति : एडवोकेट डीन कुरियाकोस जी।

…(व्यवधान)

माननीय सभापति : डॉ. कलानिधि वीरास्वामी जी।

…(व्यवधान)

माननीय सभापति : डॉ. अमर सिंह जी।

…(व्यवधान)

माननीय सभापति : एडवोकेट ए. एम. आरिफ जी।

…(व्यवधान)

माननीय सभापति : श्री बैन्नी बेहनन जी।

…(व्यवधान)

माननीय सभापति : श्री टी. एन. प्रथापन जी।

…(व्यवधान)

माननीय सभापति : श्री पी. आर. नटराजन जी।

…(व्यवधान)

माननीय सभापति : श्री एस. वेंकटेशन जी।

…(व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय मंत्री जी।

…(व्यवधान)

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS, MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF CIVIL AVIATION AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (SHRI HARDEEP SINGH PURI): Sir, I beg to move:

> "That the Bill further to amend the National Capital Territory of Delhi Laws (Special Provisions) Second Act, 2011, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

माननीय सभापति : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ **:**

> "कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र विधि (विशेष उपबंध) दूसरा अधिनियम, 2011 का और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथा पारित, पर विचार किया जाए।"

…(व्यवधान)

माननीय सभापति : श्रीमती मीनाक्षी लेखी जी।

…(व्यवधान)

श्रीमती मीनाक्षी लेखी (नई दिल्ली) : सभापति महोदय जी, आपका धन्यवाद।...(व्यवधान)

सभापति महोदय जी, जब मैं इस विषय के ऊपर रिसर्च कर रही थी, तो मैं वर्ष 2017 का अपना ही भाषण पढ़ रही थी और उसमें मैंने पाया कि वर्ष 2017 में जब इस मामले पर बहस हुई थी, तो इस प्रकार का जो माहौल है, वह संसद में पहले भी बनाकर रखा गया था।**...(**व्यवधान**)** अब विपक्ष की हालत यह हो गई है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक के रास्ते में जितने भी चुनाव हैं, उसमें लगातार भारतीय जनता पार्टी अच्छा काम कर रही है और ये लोग लगातार अपनी इन हरकतों की वजह से ही पिछड़ रहे हैं।...(व्यवधान)

आज मैं जिस महत्वपूर्ण विषय पर अपनी बात रख रही हूं, उसके दो पक्ष हैं। पहला पक्ष तो यह है कि दिल्ली के मुख्य मंत्री जी ने अपने उप मुख्य मंत्री के द्वारा कल ही एक घोषणा की है कि वह दिल्ली को वर्ष 2047 से पहले सिंगापुर बनाना चाहते हैं।...(व्यवधान) जब सिंगापुर बनाने की बात आई है, तो मैंने कहा कि ज़रा हिसाब-किताब देख लिया जाए, तो पता चला कि वर्ष 2011, 2017 और जब चुनाव की बारी आती है, तो वे इसी तरीके की बात कर रहे होते हैं।...(व्यवधान) इसका कारण यही है कि जो इनके हिस्से का काम है, जिसमें सर्वे करना था, मुआयना करवाना था, इन्होंने वह आज तक किया नहीं है, जिसके चलते बार-बार इस कानून की नियमितता को हमें बढ़ाना पड़ रहा है। ...(व्यवधान) वर्ष 2006 से पहले इसे दिल्ली लॉज़ के नाम से जाना जाता था। वर्ष 2006 के बाद वर्ष 2008, 2009 और 2011 में इसको एनसीटी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट लॉ के नाम से जाना जा रहा है। ...(व्यवधान)

जब वर्ष 2014 में हमारी सरकार आई थी, तो उसमें अनियमितता को दूर करने के लिए वर्ष 2002 के बाद जो भी कंस्ट्रक्शंस हुए हैं, दिल्ली में जो कुछ बना है, उसको नियमित करने के लिए यह नियम लाया गया है।...(व्यवधान) लेकिन जहां भी दिल्ली सरकार के काम की बात आती है, तो

उन्होंने कोई काम नहीं किया है ।...(व्यवधान) जब यह मसला कोर्ट के अंदर पहुंचा, जब पूर्व की सरकार ने वर्ष 2008 में इस प्रॉब्लम को रेगुलराइज़ेशन करने की कोशिश की तो उसमें बेईमानी थी, उसमें घोटाले थे ।...(व्यवधान) उसी के चलते कॉमन कॉज़ ने यह पिटिशन कोर्ट में डाली और उसके बाद इस पर रोक लग गई ।...(व्यवधान) लेकिन रोक भी नहीं लगी, तब एक भूरेलाल कमेटी बना दी गई थी । वह भूरेलाल कमेटी तब से बनी हुई है और दिल्ली में कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं रुका है । ...(व्यवधान) इसका कारण सिर्फ छोटा-सा है । अगर रोज़ी-रोटी की मज़बूरी नहीं होती, तो कौन गांव छोड़कर दिल्ली पहुंचता । असलियत में रोज़ी-रोटी की मज़बूरी रही और लोगों को गांव छोड़ने पर मज़बूर होकर दिल्ली, मुंबई आदि शहरों में जाना पड़ा है ।**...(**व्यवधान**)**

यहाँ की हालत यह थी कि शहर को आगे बढ़ाने के लिए सस्ती लेबर और तमाम तरह के लोगों की जरूरत थी, लेकिन जिस तरह से उनको सुविधाएं देने के लिए काम करना चाहिए था या प्लानिंग से शहरीकरण होना चाहिए था, उस तरह का काम पूर्व की सरकारों ने नहीं किया । मुझे इस बात की खुशी है कि हमारी सरकार ने, दिल्ली की चाहे कठपुतली कॉलोनी हो, चाहे आर.के.पुरम की कई झुग्गी बस्तियां हों या नई दिल्ली की अन्य झुग्गी बस्तियां हों, उनको हटाकर रिलोकेट करने का काम किया और नियमित करने का भी काम किया ।...(व्यवधान) अगर हम दिल्ली की समस्या की बात करें तो दिल्ली में झुग्गी-झोपड़ी, रेहड़ी-पटरी, गोदाम, रिलीजियस स्ट्रक्चर्स, कल्चरल सेक्टर्स, गांव की आबादी, लाल डोरा की आबादी जैसी समस्याएं और विविध प्रकार के नियम-कानून हैं । वर्ष 2008 में इन समस्याओं से निजात दिलाने के लिए कोर्ट ने फैसला किया कि आपको डेवलेपमेंटल एक्टिविटीज के लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है, यानी जो बेसिक मानवीय अधिकार है, जिसमें पानी, सड़क, नाली, सीवरेज, टॉयलेट्स आदि आते हैं, उनके डेवलेपमेंट के लिए किसी की परमिशन की आवश्यकता नहीं है । यह दिल्ली सरकार प्रोवाइड कर सकती है ।...(व्यवधान)

दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड (डुसिब) नाम की एक संस्था बनाई गई, लेकिन हालत यह है कि उन्होंने आज तक कोई सही काम नहीं किया। अगर मैं आँकड़ा पढ़ूं तो आप हैरान होंगे। कॉलोनीज की कुल संख्या 1700 से ऊपर हैं। लगभग 1800 के आस-पास हैं। उनकी अपनी साइट पर जो रिकॉर्ड्स हैं, उसमें उन्होंने कहा है कि हमने 893 कॉलोनीज में से 461 कॉलोनीज को सोशल एमेनिटीज प्रोवाइड कर दी हैं। 461 का मतलब 1800 में से 461, यानी कि 25 प्रतिशत भी नहीं है। 25 प्रतिशत से कम काम किया है।...(व्यवधान) इसके अलावा कंप्लीटेड वर्क की डेफिनेशन क्या होती है? जो-जो काम पूरा किया, उसमें क्या आना चाहिए? उसमें सड़क आनी चाहिए, सीवरेज आना चाहिए? क्या-क्या काम किया, उसकी भी कहीं पर कोई डेफिनेशन उपलब्ध नहीं की गई है ...(व्यवधान) हमने जब गहराई से इसके बारे में पता करने का प्रयास किया तो पता चला कि 895 में से 65 यानी 7 प्रतिशत ऐसी कॉलोनीज़ हैं, ऐसी बस्तियां हैं, जहाँ पर कोई एग्जीक्यूटिंग एजेंसी ही नहीं है। कोई एजेंसी तो होगी, लेकिन एजेंसी नहीं है। 895 में से 172 के लिए वर्क इन प्रोग्रेस कहा गया है, यानी 19 प्रतिशत के लिए कहा गया है। इसके ऊपर 631 करोड़ रुपये खर्च होने थे, जिसमें से 542 करोड़ रुपये का हिसाब है, बाकी का कोई हिसाब नहीं है।...(व्यवधान)

सभापति महोदय, इन झुग्गियों में जो रहने वाले लोग हैं, उनकी बात की जाए तो उन्होंने बड़ी मेहनत की कमाई से इन इलाकों के पट्टों को लिया है। वे अनियमित हैं, लेकिन इनका जो पैसा खर्च हुआ है, वह इनका असली पैसा है।...(व्यवधान) मैं बार-बार इस बारे में सोच रही थी। अभी कुछ दिन पहले मैं केरल के एक ट्राइबल क्षेत्र में थी, जहां पर लोग कह रहे थे कि हमें भी अगर 'स्वामित्व स्कीम' के तहत पट्टा मिल जाता तो हमारे जीवन में सुधार आ जाता। मैं माननीय प्रधान मंत्री जी की स्वामित्व की नीति के बारे में सोच रही थी। ठीक उसी प्रकार से दिल्ली के अन्दर भी जिसे अनऑथराइज्ड कॉलोनी कहा जाता है, वह भले ही अनऑथराइज्ड कॉलोनी है, लेकिन उसमें रहने वाले लोगों का उसमें ऑथराइज्ड पैसा खर्च हुआ है। इतनी अधिक संख्या में इतने लंबे समय तक लोग इसमें बसे रहे

और लगातार तकलीफ में रहे, यह किसी भी सरकार के लिए अशोभनीय है। जिस प्रकार से हमारी सरकार ने प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में स्वामित्व के तहत पट्टा देने का काम किया, ठीक उसी प्रकार से दिल्ली में झुग्गियों में रहने वाले लोगों को भी अपनी जमीन पर मालिकाना अधिकार प्राप्त हो, उसके लिए यह नियम बनाया गया है।...(व्यवधान) प्रॉपर्टी रिलेटेड प्रॉपर्टी राइट एक्ट को वर्ष 2019 में लाया गया। इसके तीन लाभ है। पहला यह है कि जो भी लोग इन क्षेत्रों में रहते हैं, उनको उस जमीन का अधिकार मिलेगा।...(व्यवधान) दूसरा यह है कि प्रॉपर्टी उनके नाम पर होने की वजह से बैंक आदि के अंदर नियमानुसार उस पर लोन लेना या आधिकारिक रूप से उस पर काम करना मुनासिब होगा।

13.00 hrs

तीसरी चीज, जो सर्विसेज हैं, जैसे सड़क, बिजली, पानी, नालियां आदि सभी आने की वजह से उनकी ईज़ ऑफ लिविंग बेहतर होगी। यही कारण है कि हमारी सरकार लगातार इस पर काम करना चाह रही है। इस पर रजिस्ट्रेशन का काम भी शुरू हो चुका है और कई हजार लोगों को इसकी स्लिप भी मिल चुकी है। पहले की सरकारों ने वर्ष 2008 में... * देकर रजिस्ट्रेशन के सर्टिफिकेट्स बांटे थे। उन्होंने वह सरासर ...* का काम किया था। लेकिन अब धोखे के काम से हटाकर, असलियत में लोगों को उनका अधिकार मिले, इसके लिए काम किया जा रहा है। इसके तहत, अगर रीलोकेशन पॉसिबल होगा, चाहे जो मार्केट एसोसिएशन्स हैं, जिनके पैसे कम करने का काम सरकार ने किया है। मैं सरकार और माननीय मंत्री जी की प्रशंसा करना चाहती हूं कि इतने लम्बे इतिहास को सुलझाकर, इन्होंने यह काम किया है। आगे भी ऐसे काम होते रहें और जो दो-चार कॉलोनीज बची हुई हैं, उन पर भी काम हो।

* Not recorded.

सभापति जी, आपने मुझे इस बिल पर बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद देती हूं।

श्री रमेश बिधूड़ी (दक्षिण दिल्ली): सभापति जी, मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे ऐसे विषय पर बोलने का मौका दिया। आज शहरी विकास मंत्री श्री हरदीप पुरी जी जो बिल लेकर आए हैं, वह दिल्ली के लगभग 60 लाख लोगों के जीवन का सवाल है। जो लोग दिल्ली में रोजी-रोटी के लिए आए थे, उनके खून-पसीने की कमाई है, जहां 1951 से लेकर 2014 तक एक ही खानदान ने राज किया था, उन 60 लाख लोगों की चिन्ता नहीं की गई। आज भी अगर यहां यह बिल उनको मालिकाना हक देने के लिए पास किया जा रहा है, इनको ...* आनी चाहिए कि यहां पर लोग शोर मचा रहे हैं। इनको दिल्ली के उन 60 लाख लोगों के भविष्य के बारे में सोचना चाहिए।

सर, 1977 में पहली बार 567 कॉलोनीज पास हुई थीं, तब जनता पार्टी का शासन था। 1973 से लेकर 1993 तक केवल 560 कॉलोनीज पास हुई थीं। मैं इसके पीछे की भूमिका बता देना चाहता हूं। दिल्ली में लोग रोजी-रोटी के लिए आते थे, उनके पास रहने के लिए आवास नहीं थे। दिल्ली विकास प्राधिकरण नाम की एक संस्था बनाई गई। वह संस्था केवल ...* के डी.एन.ए. के आधार पर केवल भ्रष्टाचार में डूबी रही। वह गरीब लोगों को मकान देने में सफल नहीं हो पाई। गांव के किसानों की जमीन कौड़ियों के दाम पर एक्वायर की जाती रही और डीडीए ने भी बिल्डर का काम शुरू कर दिया। अंत में, मजबूरी में आकर उन गरीब लोगों ने किसानों की खेती की जमीन में छोटे-छोटे प्लॉट लेकर रहना शुरू कर दिया। जो बहुत ही गरीब लोग थे, दिल्ली में खाली जमीनें पड़ी थी, वहां आशियाना बनाकर वे झुग्गी-झोपड़ी के रूप में रहने लगे। आज देश की आज़ादी के 75 साल होने जा रहे हैं और वे आज भी नारकीय जीवन जी रहे हैं। इसके पीछे बार-बार राजनीति होती रही, केवल प्रॉविजनल सर्टिफिकेट्स बांटे जाते रहे, उनको आश्वासन दिए जाते रहे, लेकिन इन कॉलोनियों को

* Not recorded.

पास करने के लिए, उन लोगों की खून-पसीने की कमाई से बने घरों का मालिकाना हक देने की बात कभी नहीं सोची गई। लोग वोट बैंक की राजनीति करते रहे, जैसे ...* वहां पर वोट बैंक के माध्यम से कर रही हैं।

सर, आज मंत्री जी जो बिल लेकर आए हैं – दिल्ली लॉज (स्पेशल प्रॉविजन्स) सेकण्ड (अमेंडमेंट) बिल, यह 60 लाख लोगों के भविष्य से जुड़ा हुआ है। ...(व्यवधान) मुझे कृपया पांच मिनट समय और दे दीजिए। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इसके बैकग्राउण्ड में जाकर, इन लोगों को तुरंत मालिकाना हक मिले। इसके लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने प्रयास किया था। मैं इसकी बैकग्राउण्ड में जाना चाहता हूं कि इन कॉलोनियों की बाउण्ड्री लाइन बन गई है। इन लोगों ने नक्शे 2011 में जमा करा दिए। अब अधिकारी लोग जिस तरह से काम करते हैं, एक सांसद को अधिकारियों के कारण आत्महत्या करनी पड़ गई, ये अधिकारी लोग दफ्तरों में बैठकर बाउण्ड्री लाइन निर्धारित करते हैं। कुछ लेफ्ट आउट पोर्शन्स, जो छूट गए हैं, उनकी भी रजिस्ट्री की जाए। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि उन लोगों की कॉलोनी में जाकर, उसका सर्वे करवाकर, उनका रजिस्ट्रेशन कराया जाए और उनकी कॉलोनियों में कैम्प लगाकर उनको रजिस्ट्री दी जाए। 'आपकी सरकार आपके द्वार' – जैसे देश के प्रधानमंत्री जी ने लोगों को इस चीज से बाहर निकालकर आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ाने का प्रयास किया है। इसीलिए उन लोगों का जो जीवनयापन है, वे लोग आज भी त्रस्त हैं, आज वे लोग रजिस्ट्रेशन कराने को तैयार हैं, लेकिन कभी सर्वे के बहाने से, कभी उनके कागजों को ठीक न बताने के बहाने से इस काम में डिले की जा रही है।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जिन लोगों की जमीन एक्वायर हो गई, उनको ऑल्टरनेटिव प्लॉट दिए जाते थे। अब कुछ लोगों की जमीन एक्वायर हो गई, लेकिन उनको ऑल्टरनेटिव प्लॉट 40 किलोमीटर दूर दिए जा रहे हैं। वे लोग शहर में आकर, उसके आस-पास

* Not recorded.

बसकर अपनी रोजी-रोटी प्राप्त कर रहे हैं, वहीं पर उनको ऑल्टरनेटिव दिए जाएं। इसके बारे में भी माननीय मंत्री जी चिन्ता करें।

मैं एक लास्ट लाइन कहकर अपनी बात को समाप्त करूंगा। मैं इस बिल के माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर जो दिल्ली लैण्ड रिफॉर्म्स एक्ट है, उसमें धारा 81 के अंदर जो किसान अपनी जमीन पर घर बना लेते हैं, परिवार बंट गए हैं, उनको ग्राम सभा में वैस्ट करके, वहां पर लूट-खसोट की जा रही है। ...(व्यवधान) वहां गरीब लोगों को परेशान किया जा रहा है। उन जमीनों को ग्राम सभा में वैस्ट किया जा रहा है। यह दिल्ली सरकार का इश्यू है। दिल्ली सरकार इसको भेजने वाली नहीं है। केन्द्र सरकार उन पर इस बात के लिए दबाव बनाए कि धारा 81, जो अंग्रेजों के जमाने की है, उसको अबोलिश किया जाए। ...(व्यवधान)

सर, इन कॉलोनियों से जुड़ा हुआ एक और पॉइंट है। इन कालोनियों में रहने वाले जो लोग थे, वर्ष 1996 के अंदर के रिज का प्रोविजन फॉरेस्ट एक्ट के अंदर लाया गया, लेकिन लोग 30 साल से बसे हुए हैं, 40 साल से बसे हुए हैं, उन अधिकारियों ने वहीं बैठकर बॉउण्ड्री कर दी। जो लोग 40 साल से बसे हुए हैं, मोदी साहब की सरकार ने वर्ष 2016 में एक प्रोविजन किया है। मोदी साहब की सरकार ने एक रिज मैनेजमेंट बोर्ड का हर राज्य को अधिकार दिया है।...(व्यवधान) उस रिज मैनेजमेंट से उस जमीन को बाहर निकाला जाए और ग्राम सभा की जो जमीन है, उसको इसमें डिक्लेयर किया जाए। जो गरीब लोग 40 साल से बसे हैं, उन पर तलवार लटक रही है, उनको उससे छूट दी जाए, उनको रिज के नाम से उजाड़ा न जाए। ...(व्यवधान)

माननीय सभापति: मेरा सभी से पुन: अनुरोध है कि कृपया अपनी सीट पर वापस जाएं। Please cooperate.

श्री रमेश बिधूड़ी : मैं पुन: माननीय शहरी विकास मंत्री जी को धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने दिल्ली के 60 लाख लोगों की चिंता की है।...(व्यवधान)

SHRIMATI CHINTA ANURADHA (AMALAPURAM): Mr. Chairman, Sir, thank you for allowing me to speak on the National Capital Territory of Delhi Laws (Special Provisions) Second (Amendment) Bill, 2021. The provisions of this Bill are significant for the protection of the housing rights of the people living in the Capital Territory which is the most important necessity, which is a basic human right, and an integral factor for the enjoyment of other economic, social, and cultural rights.

On behalf of my Party, I support this Bill.

डॉ. आलोक कुमार सुमन (गोपालगंज) : सभापति महोदय, धन्यवाद। आपने मुझे The National Capital Territory of Delhi Laws (Special Provisions) Second (Amendment) Bill, 2020 पर अपनी बात रखने का मौका दिया। …(व्यवधान) यह अपील पिछले 30 दिसम्बर को लागू ऑर्डिनेंस, 2020 को रिप्लेस करने के साथ The National Capital Territory of Delhi Laws (Special Provisions) Second Act, 2011 के प्रोविजन को तीन साल के लिए एक्सटेंशन, यानी 1 जनवरी, 2021 से 31 दिसम्बर, 2023 तक लागू रखने के लिए लाया जा रहा है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पिछले कई वर्षों से हर क्षेत्र में वृद्धि एवं विकास के कारण दिल्ली में इन्फ्रास्ट्रक्चर और रिसोर्सेज के विकास के लिए काफी दबाव बढ़ा है। …(व्यवधान) डिमाण्ड फॉर हाउसिंग एवं कॉमर्शियल स्पेस के साथ-साथ सभी एमेनिटीज की भी जरूरत पड़ी है। पब्लिक लैण्ड्स का एन्क्रोचमेंट, स्लम्स अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शंस, रेजिडेंशियल एरियाज़ से कॉमर्शियल एरियाज़ की समस्याएं सामने आई हैं।…(व्यवधान)

माननीय सभापति: अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

डॉ. आलोक कुमार सुमन : सर, प्लीज दो मिनट का समय और दे दीजिए। इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए दिल्ली लॉ स्पेशल प्रोविजन एक्ट केवल एक साल के लिए लाया गया, फिर भी अनऑथराइज्ड कंसट्रक्शन बढ़ता रहा। …(व्यवधान)

SHRI HARDEEP SINGH PURI: Sir, I would like to start by thanking the hon. Members who have spoken. My two colleagues from the BJP, Shrimati Meenakshi Lekhi ji and Shri Ramesh Bidhuri ji, in particular, have made some valuable points.

I would like to remind those of my colleagues in the House that there is a public perception that the issue of unauthorised colonies has been delayed by some political parties when they were in office. I can tell you that this is a problem that pre-dates the Modi Government coming into office in 2014. In fact, as long back as 1961, the problem of unauthorised colonies in Delhi was there and 103 colonies were regularised in 1962. The Government of India had also issued a Regularisation Notice Order on 16th February 1977 for 567 unauthorised colonies. These were regularised between 1979 and 1993. Then, again in 2001, a similar Order was issued. But the history of the problem of unauthorised colonies in the National Capital Territory of Delhi has been that prior to this no Government took this issue up with any degree of seriousness.

Sir, the problems of Delhi are very well-known. Some of these problems are understood, but let me try and point out the demographics. …(*Interruptions*) In 1947, जब हम ने आजादी पाई, तो उस समय भारत की जनसंख्या के 17 प्रतिशत लोग शहरों में रहते थे। वर्ष 1947 में दिल्ली की आबादी आठ लाख थी, क्योंकि पाकिस्तान से शरणार्थी यहां आए थे।…(व्यवधान) हमारा पहला सेनसस वर्ष 1951 का है, उसके अनुसार दिल्ली की आबादी 22 लाख

हो गई।…(व्यवधान) इस समय हमारे पास जो लेटेस्ट सेनसस है, that is 2011, उसके तहत दिल्ली की आबादी 1.6 करोड़ है।

सर, इस साल, वर्ष 2021 में एक और सेनसस होगा and I expect that the population of Delhi in the 2021 Census will be close to two crore, if not higher. …(*Interruptions*). I would like to point out to the hon. Members that all political parties, especially those who have delayed the process of regularization and especially those whose neglect of Delhi borders on the criminal should now be cooperating and helping the Government to take those measures necessary to bring relief to the citizens of Delhi. …(*Interruptions*). When I used words like neglecting the problems of Delhi, let me also draw your attention with a sense of responsibility to what has been happening so far. …(*Interruptions*). I will start with an extraordinary Gazette Notification which was issued in 2008 and I draw your attention to paragraph 7.3 of this Gazette Notification. It says, the entire process of regularization is to be co-ordinated and supervised by the GNCTD, the Government of the National Capital Territory of Delhi which may give wide publicity to the revised guidelines of 2007 and the regulation. …(*Interruptions*). It is a matter of public record and it is a matter of great shame that between 2006 when the process started and 2014, all the Governments which were in power in the city of Delhi did nothing. …(*Interruptions*). It is a matter of great regret and I would say this borders on criminal neglect. What happened after 2014? I will read out a letter exchanged with the Government. …(*Interruptions*) This is a letter

addressed by the Government of the National Capital Territory of Delhi to the Additional Secretary in the Delhi Division of the Ministry of Urban Development. …(*Interruptions*). It is a letter dated 18th August, 2017. The operative part of this letter is, and this letter has already been placed on the record of this House, the Government of NCT of Delhi would require a time period of two years from 1st August 2017 to 31st July, 2019 to complete the survey of the unauthorized colonies. …(*Interruptions*). The very people who today are becoming the champions of people living in unauthorized colonies asked for two years in 2017. …(*Interruptions*)

Finally, I would like to quote a letter dated 29th January, 2019. This is a letter from the Department of Revenue of the Government of NCT, Delhi. This letter says that it is expected that the whole exercise will be undertaken and they wanted two years in 2019. …(*Interruptions*). When it became obvious to me and to my Ministry that in 2019 they wanted another two years, it became clear that the criminal neglect between 2006 and 2014 was now being compounded, that was when we brought this law in 2017, and we would have completed the work of unauthorized colonies had it not been for the pandemic. …(*Interruptions*). I commend this Bill for adoption by this House, so that protection from sealing etc. will be available till 31st December, 2023. I commend the Bill for adoption. …(*Interruptions*)

माननीय सभापति: प्रश्न यह है :

"कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र विधि (विशेष उपबंध) दूसरा अधिनियम, 2011 का और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथा पारित, पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय सभापति: अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

खंड 2

माननीय सभापति: प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 3 से 7

माननीय सभापति : श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन जी।

...(व्यवधान)

माननीय सभापति : श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन जी ने इस विधेयक पर कई संशोधनों की सूचना दी है। चूंकि वह अपने संशोधन प्रस्तुत करने के लिए सदन में उपस्थित नहीं हैं, इसलिए मैं संशोधन के सभी खंडों को एक साथ सभा के समक्ष निर्णय के लिए रखूंगा।

...(व्यवधान)

माननीय सभापति: प्रश्न यह है :

"कि खंड 3 से 7 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 3 से 7 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

माननीय सभापति: माननीय मंत्री जी, अब आप प्रस्ताव करें कि विधेयक पारित किया जाए।

…(व्यवधान)

SHRI HARDEEP SINGH PURI: I beg to move:

"That the Bill be passed."

… (*Interruptions*)

माननीय सभापति: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय सभापति: सभा की कार्यवाही 2 बजकर 30 मिनट तक के लिए स्थगित की जाती है।

13.18 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Thirty Minutes past Fourteen of the Clock.

———

14.33 hrs

The Lok Sabha reassembled at Thirty Three Minutes past Fourteen of the Clock.

(Shrimati Meenakshi Lekhi *in the Chair*)

…(व्यवधान)

14.33 ½ hrs

At this stage, Shri Gurjeet Singh Aujla, Shri Ravneet Singh and some other Hon. Members came and stood on the floor near the Table.

———

…(व्यवधान)

14.34 hrs

UNION BUDGET (2021-2022) – DEMAND FOR GRANT

Ministry of Railways

HON. CHAIRPERSON: The House will now take up discussion and voting on Demand No. 84 relating to the Ministry of Railways.

Hon. Members present in the House whose cut motions to the Demand for Grant relating to the Ministry of Railways have been circulated may, if they desire to move their Cut Motions, send slips to the Table within 15 minutes indicating the serial numbers of the Cut Motions they would like to move. Only those Cut Motions in respect of which intimation is received at the Table will be treated as moved,

A list showing the serial numbers of cut motions treated as moved will be put up on the Notice Board shortly thereafter. In case, any Member finds any discrepancy in the list, he or she may bring it to the notice of the Officer at the Table immediately.

Motion moved:

> "That the respective sums not exceeding the amounts on Revenue Account and Capital Account shown in the third column of the Order Paper be granted to the President of India, out of the Consolidated Fund of India, to complete the sums necessary to defray the charges that will come in course of payment during the year ending the

31st day of March, 2022, in respect of the head of Demand entered in the Second column thereof against Demand No. 84 relating to the Ministry of Railways."

Demand for Grant for 2021-2022 submitted to the vote of Lok Sabha

No. of Demand	Name of Demand	Amount of Demand for Grant submtted to the vote of the House	
		Revenue (Rs.)	**Capital(Rs.)**
84	Ministry of Railways	275986,65,00,000	304836,88,00,000

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): माननीय सभापति महोदया, बात यह है, आप तो जानते हैं कि हम लोग सुबह से हिन्दुस्तान के किसानों के बारे में कुछ कहना चाहते हैं। हमें जो कहना है, हम उसे व्यक्त करना चाहते हैं। जहाँ किसान खुदकुशी कर रहे हैं, आज सौ दिन बीत चुके हैं। सरकार अनदेखी कर रही है। ...(व्यवधान)

माननीय सभापति: आपके पास बोलने की अपॉर्चुनिटी थी।

...(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी: आज जहाँ लाखों की तादाद में किसान इन हालातों से गुजर रहे हैं, उस समय सदन में इस बारे में...(व्यवधान)

माननीय सभापति: किसानों के विषय पर बहस करने के लिए आपके पास समय था, मगर आपने हंगामा करना चूज़ किया।

...(व्यवधान)

14.35 hrs

UNION BUDGET (2021-2022) – DEMAND FOR GRANT

Ministry of Railways-Contd…

माननीय सभापति: राम कृपाल यादव जी, आप अपनी बात कहिए।

…(व्यवधान)

श्री राम कृपाल यादव (पाटलिपुत्र): मैडम, इन लोगों को लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। …(व्यवधान) इनकी दुर्दशा इसीलिए हुई है। …(व्यवधान) आज कांग्रेस पार्टी समाप्त हो रही है, हिन्दुस्तान से साफ हो रही है, इसका यही कारण है। …(व्यवधान) तीन दिनों से इतने महत्वपूर्ण सब्जेक्ट पर चर्चा नहीं हो रही है, आपको उसमें कोई आस्था नहीं है? …(व्यवधान) आपको उसमें विश्वास नहीं है?

माननीय सभापति: राम कृपाल यादव जी, आप विषय पर बोलिए।

…(व्यवधान)

श्री राम कृपाल यादव: आपको इससे कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। …(व्यवधान) आपकी दुर्गति इसीलिए हो रही है। …(व्यवधान) रेलवे जैसी महत्वपूर्ण मांग पर हो रही इस चर्चा में आप हंगामा कर रहे हैं।

माननीय सभापति: यादव जी, अन्य कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं जाएगा । आप सिर्फ रेल बजट पर बोलिए।

...(<u>व्यवधान</u>) *

श्री राम कृपाल यादव: महोदया, मेरे यहां एक कहावत है । ...(व्यवधान) मैं उस कहावत से अपनी बात प्रारंभ करता हूं । ...(व्यवधान) बिहार में खासतौर पर यह कहावत है – "कोस-कोस पर बदले पानी, चार कोस पर वाणी" । ...(व्यवधान) कहने का मतलब है, हिन्दुस्तान की यह खूबसूरती है कि पूरे देश में लगभग एक कोस पर पानी का टेस्ट बदलता है और वाणी भी बदलती है, लेकिन फिर भी हमारा देश एक है, यही हिन्दुस्तान की खूबसूरती है । ...(व्यवधान)

मैं अपने देश के यशस्वी प्रधान मंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं । ...(व्यवधान) प्रधान मंत्री जी ने अपने मार्गदर्शन से न सिर्फ रेलवे को, बल्कि पूरे हिन्दुस्तान को पिछले छ: वर्षों के दरम्यान चारों तरफ से नई ऊचांईयों पर पहुंचाने का काम किया है । ...(व्यवधान) मैं समझता हूं कि हम सब लोगों का सीना गर्व से फूल जाना चाहिए कि आज प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में देश संकट की घड़ी से भी बाहर आ रहा है और अपने पैरों पर भी खड़ा हो रहा है । ...(व्यवधान)

सभापति महोदया, हमारे देश की खासियत यही है कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और नॉर्थ-ईस्ट से लेकर गुजरात तक भारतीय रेल अनेकता में एकता की पहचान है । ...(व्यवधान) हमारे यहां सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की जड़ों को रेल मजबूती प्रदान करती है । ...(व्यवधान) रेल हमारी लाइफलाइन है, हमारी जिंदगी का अंश है । ...(व्यवधान) अगर एक दिन के लिए रेल बंद हो जाए, तो हिन्दुस्तान ठप्प हो जाएगा । ...(व्यवधान)

---

* Not recorded.

मैं माननीय वित्त मंत्री जी और माननीय रेल मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। …(व्यवधान) मैं सबसे अधिक अपने यशस्वी प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं जिनके मार्गदर्शन में, जो रेल समाप्त हो चुकी थी, जो दुर्घटनाओं का दौर चलता था, जो परेशानियों का माहौल था। …(व्यवधान) मैं समझता हूं कि अपने कुशल मार्गदर्शन और नेतृत्व में माननीय रेल मंत्री जी ने आज रेलवे को नई ऊंचाईयों तक पहुंचाने का काम किया है। …(व्यवधान)

सभापति महोदया, मैं कहना चाहता हूं कि दो करोड़ तीस लाख रेल यात्रियों और 3.3 मिलियन टन माल ढोने वाली भारतीय रेल अमेरिका, चीन और रूस के बाद दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। …(व्यवधान) मैं आगे कुछ बोलूं, उससे पहले भारतीय रेल परिवार के लगभग 13 लाख कर्मचारियों को, जिन्होंने कोरोना वॉरियर्स के रूप में काम किया, मैं उनको और उनके पूरे परिवार को इस सदन के माध्यम से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। …(व्यवधान) उन्होंने वैश्विक महामारी कोरोना के दौर में दिन-रात मेहनत कर के लोगों को सेवा प्रदान करने का काम किया है। …(व्यवधान)

माननीय प्रधान मंत्री मोदी जी ने कहा कि जान है, तो जहान है। …(व्यवधान) उनके आह्वान पर जब 130 करोड़ देशवासी संपूर्ण लॉकडाउन का पालन कर रहे थे, उस समय हमारी भारतीय रेल 80 करोड़ लोगों तक मुफ्त राशन पहुंचाने के लिए ढुलाई कर रही थी। …(व्यवधान) किसानों के लिए उर्वरक पहुंचा रही थी। देश के किसी भी हिस्से में किसी तरह की खाद्य सामग्री, मेडिकल तथा दैनिक उपभोग की वस्तुओं की कमी न हो, इसकी चिंता करने का काम सरकार ने किया है।…(व्यवधान) इतना ही नहीं 83 हजार बेड की क्षमता वाले 5221 रेलवे कोच कोविड केयर सैंटर के रूप में परिवर्तित करके देश को कोरोना की लड़ाई में मजबूती प्रदान करने का काम किया है। 1 लाख 46 हजार पीपीई किट्स, साढ़े 7 लाख फेस मास्क्स, 66 हजार लीटर सैनीटाइजर, हॉस्पीटल बेड्स, ऑक्सीजन सिलेंडर्स ट्राली सहित कई चीजों का निर्माण करने का काम भी किया है।…(व्यवधान) यह रेलवे की

क्षमता है। रेलवे कोविड-19 से लड़ने में लगभग ढाई हजार डाक्टर्स और 35 हजार से ज्यादा मेडिकल स्टाफ तैनात किए गए हैं।...(व्यवधान) रेलवे ने बखूबी अपने दायित्वों का निर्वहन करके कोरोना से लड़ने में सहयोग करने का काम किया है। कोविड मरीजों के लिए 215 रेलवे स्टेशनों को केयर सैंटर्स में तब्दील करने का काम किया है। इनमें से 85 स्टेशनों पर हैल्थ केयर सुविधा दी गई।...(व्यवधान)

माननीय सभापति: राम कृपाल यादव जी, आप अपनी बात को सोमवार को कंटीन्यू कीजिएगा।

सभा की कार्यवाही सोमवार, दिनांक 15 मार्च, 2021 को प्रात: 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

14.42 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday, March 15, 2021/ Phalguna 24, 1942(Saka).

———